

लेखाशास्त्र

अध्याय-6: अंश पूँजी के लिए लेखांकन



कंपनी



सामान्यतः कम्पनी से आशय, लाभ के लिए निर्मित व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूँजी हस्तान्तरण योग्य अंशों में विभक्त होती है। इन अंशों के स्वामियों (अंशधारियों) का दायित्व सामान्यतया सीमित होता है। इनके संगठन का एक सामान्य वैधानिक उद्देश्य होता है तथा जिसका निर्माण एवं समापन तथा अन्य क्रायवाहियाँ अधिनियमानुसार होती हैं। इसकी प्रबंध व संचालन व्यवस्था प्रतिनिधि (संचालकों द्वारा) व्यवस्था पर आधारित होती है।

कंपनी की विशेषताएं या लक्षण

1. ऐच्छिक संघ

कम्पनी व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बनायी जाती है। कम्पनी को जो लाभ होता है, उसका कुछ भाग लाभांश के रूप में निश्चित नियमों के अंतर्गत अंशधारियों में बाँट दिया जाता है। अंशधारी कम्पनी के स्वामी होते हैं, ये लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कम्पनी में अंशों के रूप में अपना धन लगाते हैं। इस प्रकार कम्पनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाया गया व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ है।

2. वैधानिक कृत्रिम अस्तित्व

कम्पनी का निर्माण कानून द्वारा होता है और इसे स्वतंत्र वैधानिक व्यक्तिगत प्राप्त होता है। एक सामान्य व्यक्ति की भाँति कम्पनी स्वयं के नाम से व्यापार, व्यवहार कर सकती है, वाद चला सकती

है, वाद स्वीकार कर सकती है, बाहरी व्यक्तियों से अनुबन्ध कर सकती है, कर्मचारी नियुक्त कर सकती है इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है।

3. पृथक वैधानिक अस्तित्व

कम्पनी का अस्तित्व वैधानिक होता है और इसके स्वामी, अंशधारियों से, इसका अस्तित्व पृथक होता है। अंशधारियों से इसका अस्तित्व इतना पृथक होता है कि अंशधारी कम्पनी पर और कम्पनी अपने अंशधारियों पर मुकद्दमा चला सकती है।

4. सीमित दायित्व

इसके अंशधारियों का दायित्व उसके द्वारा लिये गये अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित रहता है। कम्पनी के दायित्व के लिए, अंशधारी निजी तौर पर उत्तरदायी नहीं होते और व्यक्तिगत सम्पत्ति का प्रयोग कम्पनी के दायित्वों के लिये नहीं किया जा सकता।

5. शाश्वत अस्तित्व

पृथक वैयक्तिक अस्तित्व होने के फलस्वरूप, कम्पनी का अस्तित्व शाश्वत रहता है। क्योंकि अंशधारियों के मृत्यु, उनेक दिवालिया या पागल या अयोग्य होने का कम्पनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंशधारी के द्वारा अपने अंशों के हस्तांतरण और इस प्रकार इसके स्वामित्व में परिवर्तन होते रहने का भी इसके अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।

6. सामान्य उद्देश्य

कम्पनी की स्थापना का सामान्य एवं वैधानिक उद्देश्य होता है। सामान्यतया कम्पनी लाभ अर्जन के लिए स्थापित एक संघ है। कुछ कम्पनियाँ लोकहित की दृष्टि से भी स्थापित की जाती हैं।

7. सम्पत्ति पर स्वामित्व

कम्पनी की सम्पत्ति पर स्वामित्व कम्पनी का होता है न कि उसके अंशधारियों का पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के कारण ही यह संभव हो पाता है। अंशों का हस्तांतरण करते समय, कोई भी अंशधारी कम्पनी की सम्पत्ति विभाजित इसीलिए नहीं करा पाता।

8. कार्यक्षेत्र की सीमाएं

कम्पनी अपने सीमानियम स्पष्ट उद्देश्य वाक्य के अन्तर्गत ही कार्य कर सकती है। उद्देश्य वाक्य में स्पष्ट कार्यक्षेत्र और अधिकार सीमा से बाहर कोई कार्य नहीं किया जा सकता। कम्पनी के कार्यक्षेत्र की सीमाएं-कम्पनी अधिनियम, सीमानियम और अन्तर्नियमों द्वारा शासित होती हैं।

9. अभियोग का अधिकार

एक मूर्त व्यक्ति की तरह कम्पनी को अपने अधिकारों के लिए अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं पर वाद चलाने का अधिकार होता है। कम्पनी अपने अधिकार सम्पत्ति आदि की रक्षा प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में जा सकती है। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति भी कम्पनी पर वाद चला सकते हैं।

10. अनिवार्य अंकेक्षण

कम्पनी के खातों का अंकेक्षण कराना कानूनी तौर पर अनिवार्य होता है, जबकि साझेदारी तथा एकाकी व्यापार के लिये यह ऐच्छिक है।

कंपनी के गुण या लाभ

1. सीमित दायित्व

यह इसकी विशेषता भी है और एक गुण भी है। गुण इसलिए है कि इसके कारण सदस्यों या अंशधारियों का व्यक्तिगत जोखिम अंशों में निवेशित राशि तक ही रहता है।

2. अंशों की हस्तान्तरणीयता

अंशधारियों को उनके द्वारा धारित अंशों को बेचने का अधिकार होता है। इस प्रकार खरीदने वाला व्यक्ति उनके स्थान पर कंपनी का सदस्य बन जाता है।

3. निरन्तरता की क्षमता

अंशों की हस्तान्तरणीयता के कारण अंशों का क्रय-विक्रय होता है। सदस्यों का आना-जाना लगा रहता है, किन्तु इस सबसे कंपनी की निरन्तरता पर कोई आँच नहीं आती है।

4. विकास की क्षमता

विपुल वित्तीय एवं प्रबन्धकीय संसाधनों के आधार पर कंपनी विकास एवं विस्तार की क्षमता रखती है।

5. सुदृढ़ वित्तीय शक्ति

अंशधारी भारी संख्या में कंपनी के अंशों में निवेश करते हैं। अतः कंपनी के पास वित्तीय साधनों का पर्याप्त भण्डार बना रहता है। आवश्यकता होने पर वह अतिरिक्त अंशों का निर्गमन करके एवं ऋण लेकर भी वित्तीय-स्थिति में सुधार कर सकती है।

6. ऋण प्राप्त करने की क्षमता

कंपनी के पास अपनी स्वयं की पर्याप्त स्वामिपूँजी होती है जिनके बल पर वह अनेक प्रकार की परिसम्पत्तियों के ढांचे का निर्माण करती है। इनकी जमानत पर उसे ऋण प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। बन्धकपत्रों एवं बाण्डों का निर्गमन करके वह ऋणपूँजी प्राप्त कर लेती है, क्योंकि वित्तीय संस्थाओं का विश्वास उसे प्राप्त हो जाता है। इनके अतिरिक्त दीर्घकालीन ऋण भी इसे सरलता से प्राप्त हो जाता है।

7. केन्द्रीकृत प्रबंध

आवश्यक नीति संबंधी मामलों पर शीघ्र निर्णयन के लिये समय-समय पर निदेशक मण्डल की मीटिंग होती रहती है। पूर्वानुमान, आयोजन, नियंत्रण एवं समन्वय आदि के लिये नीति संबंधी निर्णय संबंध के उच्च स्तर पर ही किये जाते हैं। मध्य एवं निचले स्तरों पर पेशेवर प्रबंधकों द्वारा उनका परिचालन किया जाता है।

8. बाजार पर मजबूत पकड़

अपनी साख एवं सुदृढ़ विक्रय व्यवस्था के आधार पर प्रायः कंपनियाँ विस्तृत बाजार पर अपनी पकड़ बना लेती हैं।

9. सस्ते एवं गुणवत्ता वाले उत्पाद

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तथा विशाल स्तर पर, उत्पादन के आधार पर प्रायः कंपनियाँ उपभोक्ताओं को सस्ते एवं गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराने में सफल रहती हैं।

कंपनी के दोष या सीमायें

1. निर्माण कठिन

कंपनी का निर्माण सरलता से नहीं होता। कंपनी की स्थापना एवं समापन में अनेक वैधानिक औपचारिकताओं का समाना करना पड़ता है। समय एवं धन जुटाना भी कठिन होता है। अतः छोटे पैमाने के उद्योग हेतु यह आवश्यक नहीं है।

2. अनुत्तरदायी प्रबंध व्यवस्था

कंपनी संगठन के अंशधारियों की संख्या अधिक होने के अतिरिक्त वे दूर-दूर के क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए कंपनी का प्रबंध व संचालन अंशधारियों द्वारा न किया जाकर वेतनभोगी संचालकों द्वारा किया जाता है। इन संचालकों एवं अन्य पेशेवर प्रबंधकों को तो निश्चित वेतन एवं सुविधायें मिलती रहती हैं, कंपनी के लाभों एवं हानियों का उन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः वे रूचिपूर्वक, निष्ठा तथा लगन से कार्य नहीं करते हैं।

3. अंशों में सट्टेबाजी

साधारणतया कंपनी के अंशों के स्वतंत्र हस्तान्तरण पर प्रतिबंध नहीं होता है। अतः कोई भी व्यक्ति स्कन्ध विनिमय केंद्र से अंशों का क्रय-विक्रय कर सकता है। इन केन्द्रों पर सट्टेरिये अफवाहें फैलाकर अंशों में मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी कराने में सफल हो जाते हैं तथा सट्टे द्वारा लाभ कमाते हैं। दूसरी ओर कंपनी के अंशों का मूल्य पिछले वर्ष की लाभांश दर से भी घटता-बढ़ता रहता है। फलस्वरूप अंशों के क्रय-विक्रय में सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। इस कारण सामान्य विनियोजकों को अनावश्यक रूप से हानि उठानी पड़ती है।

5. एकाधिकार का भय

अनेक अवसरों पर एक ही प्रकार का व्यवसाय करने वाली कंपनियां आपस में मिलकर संयोजन स्थापित कर लेती हैं। इस कारण उनके मध्य प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है तथा एकाधिकार की स्थिति बनने लगती है, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होने लगता है।

6. अंशधारियों का शोषण

चूंकि कंपनी के समस्त अंशधारी प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के संचालन एवं प्रबंध में भाग नहीं लेते अतः कुछ चुने हुए सदस्य ही संचालक के रूप में कार्य करते हैं। व्यक्ति कंपनी में अपनी मनमानी नीतियां लागू करके कंपनी के अंशधारियों का शोषण करते हैं। एक ओर कंपनी के संचालक बड़े-बड़े वेतन एवं सुविधायें प्राप्त करते हैं दूसरी तरफ अंशधारियों को बहुत कम लाभांश वितरित करते हैं।

7. केन्द्रीय संचालन एवं प्रबंध

प्रजातंत्रीय प्रबंध व्यवस्था के नाम पर कंपनी संचालन तथा प्रबंध का कार्य कुछ गिने-चुने व्यक्तियों के हाथों में ही केन्द्रित रहता है। चूंकि ये व्यक्ति उच्च पदों पर पदासीन होते हैं, अतः इनके हितों की रक्षा नहीं हो सकती।

8. प्रवर्तकों द्वारा कपट


कंपनी के निर्माण संबंधी समस्त कार्य प्रवर्तकों द्वारा किया जाता है। हालांकि प्रवर्तकों को कंपनी के निर्माण में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे धोखाधड़ी भी करते हैं। कंपनी का पंजीयन हो जाने पर ये कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को हथिया कर छल-कपट द्वारा अपने निजी स्वार्थों के लिए कंपनी का शोषण करते हैं।

9. बड़े पैमाने पर उत्पादन की बुराइयाँ

कंपनी संगठन बड़े पैमाने पर किया जाने वाला व्यवसाय है। इसके फलस्वरूप प्रबंध में शिथिलता, साधनों का दुरुपयोग, समन्वय की समस्या आदि बुराइयां जन्म ले लेती हैं।

अंश पूंजी

जब कोई कंपनी स्थापित की जाती है, तो कंपनी के संचालन हेतु कंपनी को पूंजी की आवश्यक होती है। निजी कंपनी की दशा में पूंजी सदस्यों या फिर प्रवर्तक के द्वारा जुटाई जाती है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी की दशा में पूंजी को कंपनी के द्वारा विशेष रूप से बाहरी व्यक्तियों को अपनी कंपनी में हिस्सा देकर इकट्ठा किया जाता है।



जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करके पूँजी प्राप्त करती है, तो उसे अंश पूँजी (Share Capital) के नाम से जाना जाता है। अंश पूँजी कंपनी की कुल पूँजी का वह भाग है, जिसे कंपनी समय समय पर अंशों के निर्गमन के द्वारा प्राप्त करती है। प्रत्येक कंपनी के पार्षद नियम के पूँजी वाक्य (Capital Clause) में अंश पूँजी का उल्लेख रहता है।

अंश पूँजी के प्रकार (Types of Share Capital)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार, अंशों द्वारा सीमित कम्पनी की अंश पूँजी दो प्रकार की होगी, यथा -

(क) समता अंश पूँजी (Equity Share Capital)

1. मताधिकार के साथ(With voting right)
2. लाभांश, मत अथवा अन्य के मामले में भिन्न- भिन्न अधिकार

(ख) पूर्वाधिकार अंश पूँजी (Preference Share Capital)

इस धारा के उद्देश्य हेतु -

- 1 समता अंश पूँजी से अभिप्राय समस्त अंश पूँजी से है जो पूर्वाधिकार अंश पूँजी नहीं है।
- 2- पूर्वाधिकार अंश पूँजी से आशय कम्पनी की निर्गमित पूँजी के उस भाग से है जिसे निम्न के सम्बन्ध में अधिमानी अधिकार होता है या होगा -

क. एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान।

ख. कम्पनी के समापन की दशा में समता अंशधारियों की पूँजी लौटाने के पहले पूँजी का भुगतान।

कम्पनी की अंश पूँजी की प्रकृति ओर अंश पूँजी की श्रेणियाँ



1. **अधिकृत या पंजीकृत या नामीय पूँजी (Authorised or Registered or Nominal Capital)**– जिस पूँजी से कम्पनी की रजिस्ट्री की जाती है उसे अधिकृत पूँजी या पंजीकृत पूँजी या नामीय पूँजी कहते हैं। इस पूँजी का उल्लेख कम्पनी के पार्षद सीमा नियम(Memorandum of Association)में पूँजी वाक्य (Capital Clause) में होता है।

कोई भी कम्पनी अपनी अधिकृत पूँजी से अधिक अंश पूँजी जारी नहीं कर सकती है। जैसे- एक कम्पनी का पंजीयन 200000 समता अंश से हुआ और प्रत्येक अंश Rs.10 का है तो कम्पनी की अधिकृत पूँजी Rs.20,00,000 कहलायेगी।

2. **निर्गमित पूँजी (Issued Capital)**– अधिकृत पूँजी का वह भाग जो जनता को बेचने के लिए जारी किया जाता है उसे निर्गमित पूँजी कहते हैं। जैसे- कम्पनी ने 200000 अंशों में से Rs.10 वाले 80000अंश जनता को जारी कर दिये तो निर्गमित पूँजी Rs.8,00,000 कहलायेगी।

3. **अनिर्गमित पूँजी (UnIssued Capital)**- अधिकृत पूँजी का वह भाग जो जनता को निर्गमित नहीं किया जाता है उसे अनिर्गमित पूँजी कहते हैं। जैसे- यहाँ पर Rs.10 वाले 120000 अंश जनता को जारी नहीं किये गये हैं तो Rs.12,00,000 अनिर्गमित पूँजी कहलायेगी।
4. **प्रार्थित अथवा अभिदत्तया आबंटित पूँजी (Subscribed Capital)**- निर्गमित पूँजी का वह भाग जिसे क्रय करने के लिए जनता ने प्रार्थना पत्र भेजे हैं प्रार्थित पूँजी कहलाती है। जैसे-जनता ने Rs.10 वाले 70000 अंशों को खरीदने के लिए प्रार्थना पत्र दिये तो 7,00,000 प्रार्थित पूँजी कहलायेगी।
5. **याचित पूँजी या माँगी गयी पूँजी (Called-up Capital)**- प्रार्थित पूँजी का वह भाग जो जनता से माँगा गया है याचित या माँगी गयी पूँजी कहलाता है। जैसे- यदि जनता से प्रति अंश Rs.8 माँगा जाय तो $70000 \times 8 = \text{Rs. } 5,60,000$ माँगी गयी पूँजी कहलायेगी।
6. **अयाचित पूँजी या न माँगी गयी पूँजी (Uncalled Capital)**- प्रार्थित पूँजी का वह भाग जो जनता से माँगा नहीं गया है अयाचित या न माँगी गयी पूँजी कहलाता है। जैसे- यहाँ पर Rs.2 प्रति अंश अभी जनता से माँगा नहीं गया है तो $70000 \times 2 = \text{Rs. } 1,40,000$ न माँगी गयी पूँजी कहलायेगी।
7. **प्रदत्त या चुकता पूँजी (Paidup Capital)**-याचित पूँजी का वह भाग जो जनता ने कम्पनी को चुका दिया है चुकता पूँजी कहलाता है। जैसे- यदि जनता ने Rs.7 प्रति अंश चुकता कर दिया तो $70000 \times 7 = \text{Rs. } 4,90,000$ चुकता पूँजी (Paidup capital) कहलायेगी।
8. **संचित या सुरक्षित पूँजी (Reserve Capital)**- अयाचित पूँजी का वह भाग जो विशेष प्रस्ताव पारित करके संचित कर दिया गया है संचित पूँजी कहलाता है। इस भाग को कम्पनी के समापन (Winding up of the company) के अतिरिक्त अन्य किसी भी दशा में नहीं माँगा जाता है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 65 के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। संचित पूँजी को कम्पनी के चिट्ठे (Balance Sheet of the Company) में नहीं दिखाया जाता है।

9. **कार्यशील पूँजी (Working Capital)**- कार्यशील पूँजी दिन-प्रतिदिन के संचालन या किसी व्यावसायिक संगठन के कार्य करने के लिए आवश्यक पूँजी को संदर्भित करती है।

चालू सम्पत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य कार्यशील पूँजी कहलाता (Working Capital) है।

कार्यशील पूँजी = चालू सम्पत्तिया - चालू दायित्व

Working Capital= Current Assets- Current Liabilities

10. **स्थिर पूँजी (Working Capital)**- कम्पनी की पूँजी का वह भाग जो स्थायी सम्पत्तियों में लगा होता है, स्थिर पूँजी कहलाता है।

जैसे- भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर, फैक्टरी, वाहन, फिक्स्चर और फिटिंग आदि में निवेश की पूँजी स्थायी पूँजी कहलायेगी।

अंशो के निर्गमन

अंशो के निर्गमन की प्रक्रिया

समामेलन के पश्चात एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा अपने अंशो के निर्गमन के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है

1 प्रविवरण का निर्गमन

सर्वप्रथम कंपनी अपने अंश आवेदन हेतु प्रविवरण निर्गमित करती है। प्रविवरण एक आमंत्रण पत्र है जो जनता को अंश करें हेतु आमंत्रित करता है। इसमें कंपनी का इतिहास , उद्देश्य, व्यवसाय, कंपनी के संचालक, प्रबंधक, सचिव, बैंकर, अंकेक्षक आदि की जानकारी, परियोजना की स्थिति, संभावनाएं, लाभदायकता तथा कंपनी की भावी प्रगति के अवसरों के विवरण सहित अंश आवेदन पत्र संलग्न होता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 25 के अनुसार "विक्रय के लिए प्रतिभूतियों की प्रस्थापना वाले दस्तावेज को प्रविवरण माना जाएगा"

2 अंश आवेदन पत्र प्राप्त करना

प्रवीण में संलग्न आवेदन पत्र के आधार पर अंश आवेदन पत्र आवेदन राशि सहित कंपनी के बैंकर द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। बैंकर आवेदक को जमा की गई आवेदन राशि की रसीद प्रधान कर राशि कंपनी के अंश आवेदन खाते में जमा करता है तथा प्रतिदिन या निश्चित अवधि के अंदर प्राप्त आवेदन राशि की सूची आवेदन पत्र सहित कंपनी कार्यालय को प्रेरित करता है। यदि कोई आवेदन पत्र कंपनी कार्यालय द्वारा सीधा प्राप्त किया गया हो तो उसे भी बैंकभेज कर अनशन आवेदन खाते में जमा कर दी जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 (2) के अनुसार, अंश आवेदन पर जमा की जाने वाली राशि अंशों के अंकित मूल्य के 5% से कम नहीं होनी चाहिए।

3 आवेदन एवं आवंटन सूचियां तैयार करना

कंपनी कार्यालय में बैंक द्वारा प्रेषित सूचियों की जांच के पश्चात आवेदकों के नाम उनके स्वर्ण क्रमानुसार अथवा आवेदित हंशों की संख्या के अनुसार आवेदन एवं आवंटन सूची में दर्ज कर एक सारांश सूची तैयार की जाती है जिसके आधार पर संचालक मंडल आवंटन पर विचार करता है। विभिन्न प्रकार के अंशों के आवेदन के लिए अलग-अलग आवेदन एवं आवंटन पुस्तिकाएं रखी जाती हैं।

4 अंशों का आवंटन

आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात संचालक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार अंशु का आवंटन किया जाता है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 के अनुसार एक अंश पूँजी वाली सार्वजनिक कंपनी को अपने अंशों के आवंटन में निम्नलिखित व्यवस्थाओं का पालन करना आवश्यक होता है

1 अंश आवंटन के पुरवा न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त करना न्यूनतम अभिदान राशि का आशय उस न्यूनतम राशि सी है, जिसका उल्लेख प्रविवरण में कर दिया गया हो तथा यह राशि संचालकों की दृष्टिकोण से निम्नलिखित व्ययों के भुगतान के लिए पर्याप्त हो।

- किसी संपत्ति का क्रय मूल्य जो क्रय की जा चुकी है अथवा की जानी है
- प्रारंभिक व्यय तथा अंशों पर देय कमीशन

- उपर्युक्त हेतु दिए गए ऋणों का भुगतान करने के लिए
- कार्यशील पूँजी
- अन्य कोई व्यय के लिए

2 न्यूनतम अभिधान की राशि आवेदन पत्र के साथ कंपनी को नगद, चेक या अन्य प्रलेख के रूप में प्राप्त होनी चाहिए।

3 प्रतीक अंश की आवेदन पत्र पर देय धन अंश के अंकित मूल्य की 5 परसेंट से कम नहीं होना चाहिए, किंतु सेबी के निर्देशों के अनुसार यह राशि अंश के निर्गमित मूल्य से 25 % से कम नहीं होनी चाहिए।

4 आवेदकों से प्राप्त समस्त धन किसी अनुसूचित बैंकों में तब तक जमा रहना आवश्यक है

- जब तक की अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त ना हो जाए, अथवा
- जहां ऐसा प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त किया जा चुका है तो जब तक कि आवेदन पर प्रविवरण में उल्लेखित न्यूनतम अभिधान की समस्त राशि प्राप्त ना हो जाए।

5 यदि कंपनी को न्यूनतम अभिधान की राशि प्रविवरण के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन अथवा सेबी द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर प्राप्त नहीं होती है तो आवेदकों को समस्त धनराशि निर्गमन बंद होने के तिथि से अगले 15 दिन के अंदर लौटाने होगी।

6 यदि निर्धारित अवधि में आवेदन राशि नहीं लौटाई जाती है तो कंपनी के संचालक/अधिकारी 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित आवेदन राशि लौटाने के लिए उत्तरदाई होंगे।

7 यदि कंपनी अपने अंशो का क्रय विक्रय स्कंध विपड़ी के माध्यम से करना चाहती हो तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 40 के अनुसार आवंटन से पूर्व एक या एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्कंद भी पड़ी आवेदन कर अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अधिकृत पूँजी एवं निर्गमित पूँजी में अन्तर

- अधिकृत पूँजी यह वह राशि है जिसे पार्षद सीमा नियम (Memorandum of Association) में ' पूँजी वाक्य ' (Capital Clause) में दिखाया जाता है जिससे कम्पनी का पंजीकरण हुआ है, जबकि यह पूँजी अधिकृत पूँजी का वह भाग होती है जिसे जनता को अभिदान के लिए प्रस्तावित किया जाता है।
- अधिकृत पूँजी को पार्षद सीमा नियम में प्रदर्शित करना आवश्यक होता है, जबकि इसे पार्षद सीमा नियम में प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं होता है।
- अधिकृत पूँजी का निर्धारण वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि निर्गमित पूँजी इसका निर्धारण वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है।
- अधिकृत पूँजी निर्गमित पूँजी से अधिक हो सकती है, जबकि निर्गमित पूँजी अधिकृत पूँजी से कभी भी अधिक नहीं हो सकती है।

पूँजीगत संचय(Capital Reserve)

पूँजीगत संचय से आशय ऐसे संचयों से है जो पूँजीगत लाभों (Capital Profit) से बनाये जाते हैं। स्थायी सम्पत्तियों के विक्रय से लाभ, अंशों एवं ऋणपत्रों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम, व्यवसाय को खरीदने से लाभ, ऋणपत्रों के भुगतान या षोधन से होने वाला लाभ, आदि पूँजीगत लाभों से, पूँजी संचय का निर्माण किया जाता है।

पूँजीगत संचय को कम्पनी के चिट्ठे में दायित्व पक्ष (Liabilities Side)संचय एवं अधिक्क्य (Reserve and Surplus Head) के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

पूँजीगत संचय का उपयोग पूँजीगत हानियों (Capital losses) को अपलिखित (Written Off) करने और बोनस अंश जारी (Issue Of Bonus share) करने के लिए किया जाता है।

यदि कम्पनी को पूँजीगत लाभ हों तो, पूँजीगत संचयों का निर्माण करना अनिवार्य है।

अंशों के हरण या जब्तीकरण

जब कंपनी अंश निर्गमित करती है, तो आवेदन पर सभी अंशपत्रधारियों को कंपनी के द्वारा अंश के बदले धन को देना होता है। लेकिन जब अंशपत्रधारी कंपनी के द्वारा याचित याचना राशि को पूर्ण रूप से नहीं दे पाते तो कंपनी उनके द्वारा जमा किए गए धन को जब्त कर लेती है और उनके दिए गए अंशों का हरण कर लेती है। इस स्थिति या प्रक्रिया को अंशों का हरण या जब्तीकरण कहते हैं।

अंशों को हरण करने की प्रक्रिया

अंशों को जब्त करने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की Table F के 28 से 34 प्रावधानों के अनुसार निम्न विधान हैं :-

- 1) यदि कोई सदस्य अंशों पर किसी निर्धारित तिथि पर किसी याचना या याचना की किस्त का भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसके पश्चात संचालक मंडल उसे एक नोटिस दे सकता है। जिसमें न चुकाई है याचना के भुगतान करने के लिए कहा जाता है तथा इस पर अर्जित ब्याज के भुगतान को भी जोड़ा जाता है।
- 2) नोटिस में एक तिथि दी जाती है और यह कहा जाता है, कि इस तिथि का भुगतान न होने पर संबंधित अंशों का हरण कर दिया जा सकता है।
- 3) यदि संचालक मंडल के द्वारा भेजी गई नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो संचालक मंडल के प्रस्ताव पर अंशों का हरण कर लिया जाता है।
- 4) हरण किए गए अंशों को संचालक मंडल द्वारा समझी जाने वाली उपयुक्त शर्तों के आधार पर बेचा या निपटारा किया जा सकता है। विक्रय से पूर्व संचालक मंडल उन शर्तों पर हरण को निरस्त कर सकता है, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।
- 5) उस व्यक्ति, जिसके अंश हरण किए जाते हैं, उसके हरण किए गए अंशों के संबंध में कंपनी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन हरण किए गए अंशों पर बकाया राशि के संबंध में उसका दायित्व उस समय तक बना रहता है, जब तक कंपनी को वह राशि प्राप्त न हो जाए।

अंशों के हरण के प्रभाव

अंशों की जब्ती के निम्न प्रभाव हैं :-

- 1) चूक करने वाले अंशधारियों का नाम सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाता है और उनके द्वारा दी गई राशि जब्त कर ली जाती है।
- 2) चूक करने वाले अंशधारीगण अंशों में अपना अधिकार खो देते हैं और कंपनी के अंशधारी नहीं रहते हैं।
- 3) अंशों को रद्द कर दिया जाता है और अंशों को रद्द करने की सीमा तक अंश पूंजी में कमी आ जाती है, लेकिन अंशधारियों के द्वारा दी गई राशि वापस नहीं कर सकने पर उसे जब्त कर लिया जाता है।
- 4) अंशों की जब्ती का Journal Entries के समय अंशों पर मांगी गई राशि (Called up amount of shares) से Share Capital Account को डेबिट किया जाता है। जब्त किए अंशों पर प्राप्त राशि से Forfeiture Share Account को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि यह कंपनी के लिए पूंजीगत आय है। Calls in Arrears Account को भी क्रेडिट करके बंद कर दिया जाता है।

जब्त/हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन

जब कंपनी अंश निर्गमित करती है, तो आवेदन पर सभी अंशपत्रधारियों को कंपनी के द्वारा अंश के बदले धन को देना होता है। लेकिन जब अंशपत्रधारी कंपनी के द्वारा याचित याचना राशि को पूर्ण रूप से नहीं दे पाते तो कंपनी उनके द्वारा जमा किए गए धन को जब्त कर लेती है और उनके दिए गए अंशों का हरण कर लेती है। जब कंपनी अंशों को जब्त कर लेती है तो ये अंश कंपनी के हो जाते हैं।

कंपनी के संचालकों को पार्षद अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमित करने का अधिकार होता है।

जब्त अंशों को पुनर्निर्गमन करने का प्रावधान

कंपनी के द्वारा जब्त किए गए अंशों को पुनः निर्गमित करने के निम्न प्रावधान हैं :-

1. यदि जब्त किए गए अंश मूलतः सममूल्य पर निर्गमित थे तो इन्हें कटौती पर पुनः निर्गमित कर सकते हैं। इस स्थिति में यह कटौती जब्त की गई राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी कटौती को Forfeited Share Account में डेबिट किया जाता है।

Example :-

यदि ₹10 के अंश को ₹6 पर जब्त नहीं किया गया है, तो उसे ₹6 से अधिक कटौती पर पुनः निर्गमित नहीं किया जाना चाहिए।

2. यदि जब्त किए गए अंश मूलतः प्रीमियम पर निर्गमित थे तो इसके पुनः निर्गमन पर इनकी प्राप्ति का लेखा होगा। वे अंश जो कि पूर्व में प्रीमियम पर निर्गमित थे, उनको छूट पर जारी नहीं किया जा सकता है। इसी स्थिति में Forfeited Share Account को डेबिट कर दिया जाता है।

3. Forfeited Share Account का क्रेडिट शेष पूँजीगत लाभ (Capital Profit) है। इस कारण इसका शेष पूँजी संचय खाता (Capital Reserve Account) में हस्तांतरित किया जाता है।

लेखांकन व्यवहार

आवेदन पर— विभिन्न किशतों के साथ भुगतान की गई राशि अंशपूँजी में अभिदान को दर्शाती है जो कि अंततः अंशपूँजी खाते में जमा की जाएगी हालाँकि सुविधा के लिए प्रत्येक किशत के लिए अलग खाता खोला जाता है आवेदन के साथ प्राप्त राशि को इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित बैंक में एक अलग खाता खोलकर जमा की जाएगी। रोजनामचा प्रविष्टि निम्न प्रकार होगी—

अंशपूँजी के लिए लेखांकन

बैंक खाता

नाम

अंश आवेदन खाते से

(— अंशों पर _____ प्रति अंश आवेदन पर प्राप्त राशि)

आबंटन पर— जब न्यूनतम अभिदान प्राप्त होगा तब कुछ कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के साथ, कंपनी के निर्देशक अंशों का आबंटन करेंगे।

अंशों का आबंटन, कंपनी और आवेदकों, जो कि अंशों के आबंटनी हैं और अंशधारक सदस्य माने जाते हैं, के बीच अनुबंध निहितार्थ है।

अंशों के आबंटन के संबंध में रोज़नामचा प्रविष्टियाँ निम्न प्रकार होंगी—

1. आवेदन पर प्राप्त राशि का हस्तांतरण

अंश आवेदन खाता नाम

अंशपूँजी खाते से

(—अंशों पर आवेदन राशि का अंशपूँजी से हस्तांतरण)

2. अस्वीकृत आवेदनों की राशि को वापस करने पर

अंश आवेदन खाता नाम

बैंक खाते से

(—अंशों पर अस्वीकृत आवेदनों पर राशि की वापसी पर)

3. आबंटन पर देय राशि के लिए

अंश आबंटन खाता नाम

अंशपूँजी खाते से

4. अधिक आवेदन राशि के समायोजन के लिए

अंश आवेदन पर खाता नाम

अंश आबंटन खाते से

(—अंशों पर आवेदन राशि को आबंटन देय राशि में समायोजन)

5. आबंटन राशि के प्राप्त होने पर—

बैंक खाता नाम

अंश आबंटन खाते से

(—अंशों पर— प्रति अंश की दर से प्राप्त आबंटन राशि)

व्यवहार (2) और (4) को संयुक्त रूप में इस प्रकार भी लिखा जा सकता है

अंश आवेदन खाता नाम

बैंक खाते से

अंश आबंटन खाते से

(—अंशों पर अस्वीकृत आवेदनों पर राशि की वापसी और आवेदन राशि को आबंटन देय राशि में समायोजन)

अंशों पर माँग राशि प्राप्त होने पर निम्नवत् रोज़नामचा प्रावष्टि की जाती है—

1. माँग राशि देय होने पर

अंश माँग खाता

नाम

अंशपूँजी खाते से

(— अंशों पर _____ रु. की दर से माँग राशि देय)

2. माँग राशि प्राप्त हाने पर

बैंक खाता

नाम

अंश माँग खाते से

(माँग राशि प्राप्त)

Example:

मोना अर्थ मूवर लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 12,000 अंश निर्गमित किए। इन पर देय राशियाँ निम्नानुसार हैं— 30 रुपये आवेदन पर, 40 रुपये आबंटन पर, 20 रुपये प्रथम माँग पर और शेष द्वितीय तथा अंतिम माँग पर। 13,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किए गए। निदेशकों ने 1,000 अंशों के लिए आवेदन को अस्वीकार कर दिया तथा उनकी समस्त राशि लौटा दी गई। सभी अंशों पर आबंटन राशि को स्वीकार किया

गया और 100 अंशों को छोड़कर सभी देय राशि को प्राप्त किया गया। मोना अर्थ मूवर लिमिटेड की पुस्तकों में लेन-देन प्रलेखित करें।

मोना अर्थ मूवर लिमिटेड की पुस्तकें
रोज़नामचा

तिथि	विवरण	ब.पु. स.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
	बैंक खाता अंश आवेदन खाते से (13,000 अंशों पर 30 रु. प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त की गई)	नाम	3,90,000	3,90,000
	अंश आवेदन खाता अंशपूँजी खाते से (आवेदन राशि को अंशपूँजी में हस्तांतरित करने पर)	नाम	3,60,000	3,60,000
	अंश आवेदन खाता बैंक खाते से (1,000 अंशों पर आवेदन राशि रद्द करने पर)	नाम	30,000	30,000
	अंश आबंटन खाता अंशपूँजी खाते से (12,000 अंशों पर 40 रुपये प्रति अंश आबंटन पर देय राशि)	नाम	4,80,000	4,80,000
	बैंक खाता अंश आबंटन खाते से (12,000 अंशों पर 40 रुपये प्रत्येक आबंटन राशि प्राप्त करने पर)	नाम	4,80,000	4,80,000
	अंश प्रथम माँग खाता अंशपूँजी खाते से (प्रथम माँग पर 12,000 अंशों पर 20 रुपये प्रति अंश देय राशि)	नाम	2,40,000	2,40,000

	बैंक खाता अंश प्रथम माँग खाते से (100 अंशों को छोड़कर सभी अंशों पर प्रथम माँग राशि प्राप्त करने पर)	नाम	2,38,000	2,38,000
	अंश द्वितीय एवं अंतिम माँग खाता अंशपूँजी खाते से (12,000 अंशों पर 10 रु. प्रति अंश द्वितीय एवं अंतिम माँग राशि देय)	नाम	1,20,000	1,20,000
	बैंक खाता अंश द्वितीय और अंतिम माँग खाते से (100 अंशों के सिवाय द्वितीय और अंतिम माँग राशि प्राप्त होने पर)	नाम	1,19,000	1,19,000

Example:

ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपये प्रत्येक की राशि के 40,000 अंश जनता के अंशपूँजी के लिए निर्गमित किए। इन पर देय राशियाँ निम्नानुसार हैं। आवेदन पर 4 रुपये, आबंटन पर 3 रुपये और शेष प्रथम तथा अंतिम माँग पर। 40,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। कंपनी ने आवेदकों को समस्त आबंटन कर दिया। आबंटन तथा प्रथम और अंतिम माँग पर देय राशि को प्राप्त कर लिया गया। कंपनी की पुस्तकों में रोज़नामचा में लेन-देन प्रलेखित करें।

ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड की पुस्तकें
रोज़नामचा

तिथि	विवरण	ब.पू. सं.	नाम राशि (रुपये)	जमा राशि (रुपये)
	बैंक खाता अंश आवेदन खाते से (40,000 अंशों पर 4 रु. प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्त करने पर)	नाम	1,60,000	1,60,000
	अंश आवेदन खाता अंशपूँजी खाते से (आवेदन राशि को अंश खाते में हस्तांतरित करने पर)	नाम	1,60,000	1,60,000

	अंश आबंटन खाता अंशपूँजी खाते से (40,000 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश आबंटन पर देय राशि)	नाम	1,20,000	1,20,000
	बैंक खाता अंश आबंटन खाते से (40,000 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश आबंटन की राशि प्राप्त होने पर पर)	नाम	1,20,000	1,20,000
	अंश प्रथम एवं अंतिम माँग खाता अंशपूँजी खाते से (40,000 अंशों पर 3 रुपये प्रत्येक अंश प्रथम एवं अंतिम माँग पर देय राशि)	नाम	1,20,000	1,20,000
	बैंक खाता अंश प्रथम एवं अंतिम खाते से (प्रथम और अंतिम माँग पर माँगी गई राशि की प्राप्ति पर)	नाम	1,20,000	1,20,000

Example:

क्रोनिक लिमिटेड ने 10,000 समता अंश जो कि 10 रुपये प्रत्येक है, निर्गमित किए। इन पर देय राशियाँ इस प्रकार हैं—

आवेदन पर 2.50 रुपये; आबंटन पर 3 रुपये; प्रथम माँग पर 2 रुपये तथा शेष द्वितीय एवं अंतिम माँग पर सभी अंशों पर पूर्ण रूप से अभिदान स्वीकार किया गया सिवाय एक अंशधारी के, जिसने 100 अंशों के लिए आवेदन किया लेकिन द्वितीय एवं अंतिम माँग राशि का भुगतान नहीं किया। इस लेन-देन के संदर्भ में रोज़नामचा प्रविष्टि करें।

Solution:

क्रोनिक लिमिटेड
रोज़नामचा

तिथि	विवरण	ब.पू. स.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
	बैंक खाता अंश आवेदन खाते से (10,000 अंशों पर 2.50 रु. प्रति अंश आवेदन राशि स्वीकार की गई)	नाम	25,000	25,000

समता अंश आवेदन खाता अंशपूँजी खाते से (आवेदन राशि को अंशपूँजी में हस्तांतरित करने पर)	नाम	25,000	25,000
समता अंश आबंटन खाता अंशपूँजी खाते से (10,000 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश आबंटन राशि देय होने पर)	नाम	30,000	30,000
बैंक खाता अंश आबंटन खाते से (आबंटन राशि की प्राप्ति पर)	नाम	30,000	30,000
अंश प्रथम माँग खाता अंशपूँजी खाते से (10,000 अंशों पर 2 रुपये प्रति अंश प्रथम माँग राशि देय)	नाम	20,000	20,000
बैंक खाता अंश प्रथम माँग खाते से (प्रथम माँग राशि की प्राप्ति होने पर)	नाम	20,000	20,000
अंश द्वितीय एवं अंतिम माँग खाता अंशपूँजी खाते से (अंतिम माँग राशि देय)	नाम	25,000	25,000
बैंक खाता बकाया माँग खाते से अंश द्वितीय एवं अंतिम माँग खाते से (100 अंशों के अतिरिक्त अंतिम माँग राशि की प्राप्ति होने पर)	नाम नाम	24,750 250	25,000

Example:

कोनिका लिमिटेड 2,00,000 रुपये की अधिकृत समता पूँजी जो कि 2,000 अंशों 100 रुपये प्रत्येक में विभाजित है, साथ ही पूँजीकृत है, ने अभिदान के लिए 1,000 अंश निर्गमित किए, जिन पर 25 रुपये आवेदन राशि; 30 रुपये आबंटन राशि; 20 रुपये प्रथम माँग पर; और शेष आवश्यकतानुसार माँगे जाने पर।

1,000 अंशों के लिए आवेदन स्वीकार किए गए और आबंटन किया गया। आबंटन की राशि पूर्ण रूप से प्राप्त की गई, लेकिन जब प्रथम माँग राशि माँगी गई तो एक अंशधारी जिसे 100 अंश आबंटित किए गए थे, माँग राशि चुकाने में असमर्थ था तथा एक अन्य अंशधारी ने 50 अंशों के लिए संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया। कंपनी ने कोई अन्य माँग नहीं की।

कंपनी की पुस्तकों में अंशपूँजी के लेनदेन से संबंधित आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ करें।

Solution:

कोनिका लिमिटेड की पुस्तकें
रोज़नामचा

तिथि	विवरण	ब.पृ. स.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
	बैंक खाता नाम समता अंश आवेदन खाते से (1,000 अंशों पर पर 25 रु. प्रति अंश आवेदन राशि प्राप्ति पर)		25,000	25,000
	समता अंश आवेदन खाता नाम अंशपूँजी खाते से (आवेदन राशि को अंशपूँजी में हस्तांतरित करने पर)		25,000	25,000
	समता अंश आबंटन खाता नाम समता अंशपूँजी खाते से (1,000 अंशों पर 30 रुपये प्रति अंश आबंटन राशि देय)		30,000	30,000
	बैंक खाता नाम समता अंश आबंटन खाते से (आबंटन राशि की प्राप्ति पर)		30,000	30,000

	समता अंश प्रथम माँग खाता नाम समता अंशपूँजी खाते से (1,000 अंशों पर 20 रुपये प्रति अंश प्रथम माँग देय)		20,000	20,000
	बैंक खाता नाम बकाया माँग खाते नाम		19,250 2,000	
	समता अंश प्रथम माँग खाता अग्रिम माँग खाते से (900 अंशों पर प्रथम माँग राशि की प्राप्ति तथा 50 अंशों पर अग्रिम माँग राशि 25 रुपये प्रति अंश)			20,000 1,250

Example:

रोहित एंड कंपनी ने 30,000 अंश 10 रुपये प्रत्येक अंश निर्गमित किए, जिस पर 3 रुपये आवेदन पर; 3 रुपये आबंटन; और 2 रुपये प्रथम माँग 2 महीने के पश्चात् देय है। आबंटन राशि को छोड़कर सभी देय राशि प्राप्त हुई लेकिन प्रथम माँग पर एक अंशधारी जिसके पास 400 अंश थे प्रथम माँग राशि का भुगतान नहीं किया और एक अन्य अंशधारी जिसके पास 300 अंश थे, ने द्वितीय और अंतिम माँग जो कि 2 रुपये है अभी माँगी नहीं गई का भुगतान कर दिया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ करें।

**रोहित एंड कंपनी की पुस्तकें
रोज़नामचा**

तिथि	विवरण	ब.पू. सं.	नाम राशि (₹.)	जमा राशि (₹.)
	बैंक खाता अंश आवेदन खाते से (30,000 अंशों पर पर 3 रु. प्रति आवेदन राशि की प्राप्ति पर)	नाम	90,000	90,000
	अंश आवेदन खाता अंशपूँजी खाते से (आवेदन राशि को अंशपूँजी में हस्तांतरित करने पर)	नाम	90,000	90,000
	अंश आबंटन खाता अंशपूँजी खाते से (30,000 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश आबंटन राशि देय होने पर)	नाम	90,000	90,000
	बैंक खाता अंश आबंटन खाते से (आबंटन राशि की प्राप्ति होने पर)	नाम	90,000	90,000
	अंश प्रथम माँग खाता अंशपूँजी खाते से (30,000 अंशों पर 2 रुपये प्रति अंश प्रथम माँग राशि देय होने पर)	नाम	60,000	60,000
	बैंक खाता बकाया माँग खाता अंश प्रथम माँग खाते से अग्रिम माँग खाते से (300 अंशों पर 2 रुपये प्रत्येक अग्रिम प्राप्ति तथा 400 अंशों पर 2 रुपये प्रत्येक प्रथम माँग राशि प्राप्त नहीं होने पर)	नाम नाम	59,800 800	60,000 600

आवेदन और आबंटन पर वैकल्पिक तौर पर रोज़नामचा प्रविष्टि निम्न प्रकार से की जाएगी—

1. बैंक खाता नाम
अंश आवेदन खाते से
(25,000 अंशों पर आवेदन राशि की प्राप्ति पर)
2. अंश आवेदन खाता नाम
अंशपूँजी खाते से
बैंक खाते से
(25,000 अंशों पर आबंटन राशि के हस्तांतरण तथा रद्द किए गए अंशों को अंशपूँजी के हस्तांतरण करने पर)
3. अंश आबंटन खाता नाम
अंशपूँजी खाते से
(20,000 अंशों की आबंटन राशि के देय होने पर)
4. बैंक खाता नाम
अंश आबंटन खाते से
(आबंटन राशि के प्राप्त होने पर)

Example:

जनता पेपर्स लिमिटेड ने 25 रु. प्रत्येक वाले 1,00,000 समता अंशों को जारी करने का आमंत्रण दिया जिन पर देय राशि इस प्रकार थी—

आवेदन पर	5.00 रुपये प्रति अंश
आबंटन पर	7.50 रुपये प्रति अंश
प्रथम माँग पर	7.50 रुपये प्रति अंश
(आबंटन के दो महीने बाद देय)	
द्वितीय और अंतिम माँग पर	5.00 रुपये प्रति अंश
(दो महीने बाद देय)	

1 जनवरी 2017 को 4,00,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए गए और 1 फ़रवरी 2017 को आबंटन किया गया।

निम्न परिस्थितियों के अंश पूँजी के लेन-देन के संबंध में रोज़नामचा प्रविष्टियाँ करें।

1. संचालकों ने कुछ चुने हुए आवेदकों को 1,00,000 अंशों का आबंटन करने का निर्णय लिया तथा 3,00,000 अंशों को पूर्ण रूप से रद्द किया गया।
2. संचालकों द्वारा प्रत्येक आवेदनकर्ता को आवेदन किए गए अंशों का 25 प्रतिशत आनुपातिक आबंटन किया जाए; आवेदन राशि के शेष आबंटन के साथ समायोजित किया जाए; और तत्पश्चात् बचे हुए आवेदनों की राशि को वापस कर दिया जाए।
3. संचालकों द्वारा 2,00,000 अंशों के लिए किए गए आवेदनों को बिलकुल रद्द कर दिया। 80,000 अंशों के लिए पूर्ण आबंटन किया गया तथा 20,000 अंशों का शेष आवेदकों को आनुपातिक आबंटन किया गया और आवेदन से अधिक प्राप्त राशि को आबंटन के साथ समायोजित किया गया तथा माँग को बनाया गया।

Solution:

जनता पेपर्स लिमिटेड की पुस्तकें
रोज़नामचा

तिथि	विवरण	ब.पू. स.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
2017 1 जनवरी	बैंक खाता समता अंश आवेदन खाते से (4,00,000 अंशों पर पर 5 रु. प्रति आवेदन राशि की प्राप्ति पर)	नाम	20,00,000	20,00,000

1 फ़रवरी	समता अंश आवेदन खाता समता अंशपूँजी खाता बैंक खाते से (1,00,000 अंशों पर प्राप्त आवेदन राशि को अंशपूँजी खाते में हस्तांतरण तथा रद्द किए गए आवेदनों की राशि को वापस करने पर)	नाम	20,00,000	5,00,000 15,00,000
1 फ़रवरी	समता अंश आबंटन खाता समता अंशपूँजी खाते से (1,00,000 अंशों पर 7.50 रुपये प्रति अंश आबंटन राशि के देय होने पर)	नाम	7,50,000	7,50,000

1 अप्रैल	बैंक खाता समता अंश आबंटन खाते से (आबंटन राशि की प्राप्ति पर)	नाम	7,50,000	7,50,000
	समता अंश प्रथम माँग खाता अंशपूँजी खाते से (1,00,000 अंशों पर 7.50 प्रति अंश प्रथम माँग के देय होने पर)	नाम	7,50,000	7,50,000
1 अप्रैल	बैंक खाता समता अंश प्रथम माँग खाते से (प्रथम माँग की प्राप्ति पर)	नाम	7,50,000	7,50,000
1 जून	समता अंश द्वितीय एवं अंतिम माँग खाता समता अंशपूँजी खाते से (अंतिम माँग के 1,00,000 अंशों पर 5 रुपये प्रति अंश देय होने पर)	नाम	5,00,000	5,00,000
1 जून	बैंक खाता समता अंश द्वितीय एवं अंतिम माँग खाते से (अंतिम माँग की प्राप्ति पर)	नाम	5,00,000	5,00,000

दूसरा विकल्प

तिथि	विवरण	ब.पृ. सं.	नाम राशि (रु.)	जमा राशि (रु.)
2017 1 जनवरी	बैंक खाता समता अंश आवेदन खाते से (4,00,000 अंशों पर 5 रुपये प्रति अंश आवेदन राशि की प्राप्ति पर)		20,00,000	20,00,000

1 फ़रवरी	समता अंश आवेदन खाता समता अंशपूँजी खाते से समता अंश आबंटन खाते से बैंक खाते से (अंशों के आबंटन पर आवेदन राशि को अंशपूँजी के हस्तांतरित करने तथा आवेदन से अधिक राशि को आबंटन खाते में जमा करने और अस्वीकृत अंशों की राशि को लौटाने पर)	नाम		20,00,000	5,00,000 7,50,000 7,50,000
1 फ़रवरी	समता अंश आबंटन खाता समता अंशपूँजी खाते से (1,00,000 अंशों पर 7.50 प्रति अंश आबंटन राशि के देय होने पर)	नाम		7,50,000	7,50,000

टिप्पणी – माँग से संबंधित प्रविष्टियाँ पिछली विधि के समान ही होंगी।

तीसरा विकल्प

तिथि	विवरण	ब.पू. सं.	नाम राशि (रुपये)	जमा राशि (रुपये)
2017 1 जनवरी	बैंक खाता समता अंश आवेदन खाते से (4,00,000 अंशों पर 5 रुपये प्रति अंश आवेदन राशि की प्राप्ति पर)	नाम	20,00,000	20,00,000
1 फ़रवरी	समता अंश आवेदन खाता समता अंशपूँजी खाते से समता अंश आबंटन खाते से अग्रिम माँग खाते से बैंक खाते से (आवेदन राशि को अंशपूँजी खाते में हस्तांतरित करने तथा आवेदन से अधिक राशि को आबंटन खाते में जमा करने तथा रद्द किए गए आवेदनों की राशि लौटाने पर)	नाम	20,00,000	5,00,000 1,50,000 2,50,000 11,00,000

1 फ़रवरी	समता अंश आबंटन खाता समता अंशपूँजी खाते से (1,00,000 अंशों पर 7.50 प्रति अंश आबंटन राशि के देय होने पर)	नाम	7,50,000	7,50,000
1 फ़रवरी	बैंक खाता अंश आबंटन खाते से (आबंटन राशि की प्राप्ति पर)	नाम	6,00,000	6,00,000
1 अप्रैल	समता अंश प्रथम माँग खाता समता अंशपूँजी खाते से (1,00,000 अंशों पर 7.50 प्रति अंश प्रथम माँग के देय होने पर)	नाम	7,50,000	7,50,000
1 अप्रैल	बैंक खाता अग्रिम माँग खाता समता अंश प्रथम माँग खाते से (अग्रिम माँग राशि को प्रथम माँग के साथ समायोजित करने और शेष राशि को माँग की प्राप्ति हाने पर)	नाम नाम	6,00,000 1,50,000	7,50,000
1 जून	समता अंश द्वितीय और अंतिम खाता अंशपूँजी खाते से (अंतिम माँग के 1,00,000 अंशों, 5 रुपये प्रति अंश देय होने पर)	नाम	5,00,000	5,00,000
1 जून	बैंक खाता अग्रिम माँग खाते से समता अंश द्वितीय और अंतिम माँग खाते से (अग्रिम माँग राशि को द्वितीय एवं अंतिम माँग में समायोजित करने तथा शेष राशि को माँग की प्राप्ति होने पर)	नाम नाम	4,00,000 1,00,000	5,00,000

टिप्पणी— यथानुपात आबंटन के परिणामस्वरूप अधिक आवेदन राशि के शेष को, आबंटित अंशों के संबंध में आबंटन राशि, और दोनों माँग राशियों के साथ रद्द किए आवेदनों को लौटा दी गई राशि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपरोक्त रोज़नामचा प्रविष्टि 3 पर्याप्त है।

कार्यात्मक टिप्पणी—

	(रु.)	(रु.)
अधिक आवेदन राशि		15,00,000
घटाया हस्तांतरण—		
(i) अंश आबंटन –	(1,50,000)	
20,000 अंश 7.50 रुपये प्रत्येक		
(ii) अंश माँग –	(2,50,000)	
20,000 अंश 12.50 प्रत्येक		(4,00,000)
लौटाई गई राशि (रद्द किए गए आवेदन सहित)		11,00,000

अधिमूल्य पर निर्गमित अंशों के संबंध में रोज़नामचा प्रविष्टियाँ इस प्रकार होंगी;

1. आवेदन राशि के साथ अधिमूल्य माँगे जाने पर
 - (अ) बैंक खाता नाम
अंश आवेदन खाते से
(आवेदन अंश की राशि प्रीमियम सहित प्राप्त होने पर)
 - (ब) अंश आवेदन खाता नाम
अंशपूँजी खाते से
प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते से
(आवेदन राशि की अंशपूँजी तथा प्रतिभूति प्रीमियम खाते में हस्तांतरित करने पर)
2. जब अधिमूल्य को आबंटन राशि के साथ माँगा जाता है
 - (अ) अंश आबंटन खाता नाम
अंशपूँजी खाते से
प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते से
(अंशों पर – रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित आबंटन राशि के देय होने पर)
 - (ब) बैंक खाता नाम
अंश आबंटन खाते से
(प्रीमियम सहित आबंटन राशि की प्राप्ति होने पर)

3. जब अधिमूल्य को माँग राशि के साथ माँगा जाता है

(अ) अंश माँग खाता

नाम

अंशपूँजी खाते से

प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते से

(अंशों पर – रुपये प्रति अंश प्रीमियम सहित माँग राशि के देय होने पर)

(ब) बैंक खाता

नाम

अंश माँग खाते से

(प्रीमियम सहित माँग राशि की प्राप्ति होने पर)

SHIVOM CLASSES
8696608541

NCERT SOLUTIONS

प्रश्न (पृष्ठ संख्या 69 - 76)

लघु उत्तरीय प्रश्न:

प्रश्न 1 सार्वजनिक कम्पनी क्या है?

उत्तर – सार्वजनिक कम्पनी (Public Company): सार्वजनिक कम्पनी से आशय एक ऐसी कम्पनी से है जो कि

(अ) एक निजी कम्पनी नहीं है।

(ब) एक कम्पनी जो निजी कम्पनी की सहायक कम्पनी नहीं है।

प्रश्न 2 निजी कम्पनी क्या है?

उत्तर – निजी कम्पनी (Private Company): एक निजी कम्पनी वो है जो अपने अनुच्छेदों के अनुसार

(अ) अपने अंशों के हस्तान्तरण के अधिकार को प्रतिबन्धित करती है।

(ब) एकल व्यक्ति कम्पनी के अतिरिक्त अपने सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित रखती है। (इसके कर्मचारियों को छोड़कर)।

(स) जनता को कम्पनी की किसी भी प्रतिभूति के अभिदान के लिए आमंत्रण निषेध करती है।

प्रश्न 3 अंशों का हरण कब किया जा सकता है?

उत्तर – अंशों का हरण (Forfeiture of Shares):

यदि किसी अंशधारी द्वारा माँगी गयी राशियों (यथा आबंटन राशि एवं माँग राशि) का निर्धारित समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो कम्पनी उसे उचित सूचना व अवसर देकर तालिका 'अ' के प्रावधानों के अनुसार उसके अंशों को जब्त कर सकती है। कम्पनी द्वारा अंशों का जब्त किया जाना ही 'अंशों का हरण' कहलाता है। अंशों के हरण से पूर्व कम्पनी द्वारा अंशधारी को बकाया राशि जमा करवाने हेतु 14 दिन पूर्व एक वैधानिक नोटिस दिया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया

जाता है कि इस अवधि में यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो अंशों का हरण कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य कारण से अंशों का हरण नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 4 बकाया माँग से क्या अभिप्राय है?

उत्तर – बकाया माँग (Calls in Arrear): कभी-कभी अंशों पर विभिन्न मांगों की सम्पूर्ण राशि देय तिथियों तक प्राप्त नहीं हो पाती है। कुछ अंशधारी इनमें से एक अथवा कुछ माँगों की राशियाँ नहीं दे पाते हैं। अंशधारियों द्वारा विभिन्न मांगों की देय तिथियों तक न चुकाई गई राशियों के योग को बकाया माँगें (Calls in Arrear) कहते हैं।

प्रश्न 5 एक सूचीबद्ध कम्पनी से क्या अभिप्राय है?

उत्तर – वह सार्वजनिक कम्पनी जिसके अंश किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं और सार्वजनिक व्यापार हेतु उनका व्यापार किया जा सकता है, सूचीबद्ध कम्पनी कहलाती है। अन्य शब्दों में वे कम्पनियाँ जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अपने अंशों के सार्वजनिक, व्यापार हेतु सूचीबद्ध होती हैं, सूचीबद्ध कम्पनियाँ कहलाती हैं। इन्हें कोटा (Quota) कम्पनी भी कहा जाता है।

प्रश्न 6 प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है?

उत्तर – प्रतिभूति प्रीमियम अथवा अधिमूल्य (Premium) का प्रयोग कम्पनी द्वारा निम्न पाँच उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है

- पूर्ण भुगतान बोनस अंश के निर्गमन पर, जो कि इस सन्दर्भ में जारी न की गई अंशपूँजी से ज्यादा न हो;
- कम्पनी के प्रारम्भिक व्ययों का अभिलेखन;
- कम्पनी के व्ययों को अपलिखित करना, या कमीशन का भुगतान, या प्रतिभूतियों पर बट्टा प्रदान या बट्टे को अपलिखित करना; और
- अधिमानी अंशों के मोचन पर अधिमूल्य का भुगतान और कम्पनी के ऋणपत्रों के मोचन पर अधिमूल्य का भुगतान करना;
- स्वयं के अंशों का क्रय (अर्थात् अंशों का पुनः क्रय:)

प्रश्न 7 अग्रिम माँग से क्या अभिप्राय है?

उत्तर – अग्रिम माँगें (Calls in Advance): यदि किसी अंशधारी द्वारा अभी तक नहीं माँगी गयी राशि का आंशिक या पूर्ण भुगतान कर दिया जाता है तो उसे अग्रिम माँग राशि कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अग्रिम माँग राशि से आशय उस राशि से होता है जो भविष्य में देय हो, किन्तु वर्तमान में ही प्राप्त हो जाये। इस प्रकार प्राप्त राशियों को अग्रिम प्राप्त माँग खाते (Calls in Advance Ac) में अन्तरित कर दिया जाता है।

प्रश्न 8 न्यूनतम अभिदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

उत्तर – न्यूनतम अभिदान (Minimum Subscription):

न्यूनतम अभिदान से आशय है, वह न्यूनतम राशि जो कि संचालकों की राय में व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। यह अग्र से सम्बन्धित हो सकती

- किसी भी परिसम्पत्ति का क्रय मूल्य, या जो क्रय की गई या क्रय की जानी है जो कि पूर्ण या आंशिक रूप से अंशों की राशि से भुगतान किया जाना है।
- कम्पनी के द्वारा प्रारम्भिक व्ययों को देय होना या अंशों के निर्गमन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कमीशन चुकाने के लिए।
- उपरोक्त दो परिस्थितियों में कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की उधार ली गई राशि के पुनर्भुगतान हेतु।
- कार्यशील पूँजी के लिए एवं
- व्यावसायिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यय के लिए।

कम्पनी अधिनियम में न्यूनतम अभिदान की राशि की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है किन्तु सेबी के दिशानिर्देश, 2000 (6.3.8.1 और 6.3.8.2) के अनुसार न्यूनतम अभिदान जारी की गई राशि का 90% से कम नहीं होना चाहिये। यदि यह पूर्ण नहीं होती तो कम्पनी आवेदन पर प्राप्त समस्त राशि को लौटाने के लिए बाध्य होती है। अभिदान के बन्द होने की तिथि के 8 दिनों के विलम्ब की स्थिति में कम्पनी उस राशि पर 15% ब्याज देने के लिए भी बाध्य होगी [धारा 73(2)]।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न:

प्रश्न 1 कम्पनी शब्द का क्या अर्थ है? इसकी विशेषताओं का वर्णन करें।

उत्तर – कम्पनी से आशय कम्पनी एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण सामान्यतः एक व्यवसाय को चलाने के लिए व्यक्तियों के एक समूह द्वारा कानून की एक प्रक्रिया पूर्ण करने पर होता है। कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका अपने सदस्यों से पृथक् अस्तित्व होता है। कम्पनी की पूँजी अनेक भागों में विभक्त होती है जिसका एक हिस्सा अंश (Share) कहलाता है। कम्पनी की अंशपूँजी के हिस्से/हिस्सों के मालिक को सदस्य या अंशधारी कहते हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(20) के अनुसार, "कम्पनी से आशय इस अधिनियम के अन्तर्गत या पूर्व के किसी कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी से है।" प्रो. हैने के अनुसार, "कम्पनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक् अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और एक सार्वमुद्रा होती है।"

इस प्रकार कम्पनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से पृथक् अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है जो अपना कार्य सार्वमुद्रा द्वारा करती है। कम्पनी की विशेषताएँ (Characteristics of Company):

एक कम्पनी की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित

(1) व्यक्तियों का संघ (Association of Persons): एक कम्पनी को व्यक्तियों के एक संघ के रूप में देखा जा सकता है जो कि राशि को एकत्रित करते हैं या फिर राशि को एक सामान्य स्कन्ध के रूप में एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं।

(2) निगमित संस्था (Body Corporate): एक कम्पनी का निर्माण समय-समय पर लागू होने वाले कानूनों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। सामान्यतः भारत में कम्पनियों का निर्माण तथा पंजीकरण कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत होता है, बैंकिंग तथा बीमा कम्पनियों को छोड़कर, जिनके लिए पृथक् कानून है।

(3) पृथक् वैधानिक अस्तित्व (Separate Legal Entity): एक कम्पनी का अलग कानूनी अस्तित्व होता है जो कि इसके सदस्यों से भिन्न होता है। कम्पनी किसी भी प्रकार की परिसम्पत्ति

का क्रय कर सकती है। यह अनुबन्ध कर सकती है और अपने नाम से बैंक खाता भी खोल सकती है।

(4) सीमित दायित्व (Limited Liability): इसके सदस्यों का दायित्व केवल उनके द्वारा खरीदे गए अंशों की अदत्त राशि तक ही सीमित होता है। गारन्टी द्वारा सीमित कम्पनी की स्थिति में, कम्पनी के समापन की दशा में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा दी गई गारन्टी तक ही सीमित रहता है।

(5) स्थायी उत्तराधिकार (Perpetual Succession): कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कि कानून द्वारा निर्मित होने के कारण इसके सदस्यों के परिवर्तित होने पर भी अस्तित्व में रहती है। एक कम्पनी को केवल कानून द्वारा विघटित किया जा सकता है। कम्पनी के सदस्यों की मृत्यु, दिवालियापन होने की स्थिति में भी कम्पनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सदस्य आते-जाते रहते हैं। इसके बावजूद भी कम्पनी निरन्तर क्रियाशील रहती है।

(6) सार्वमुद्रा (Common Seal): चूँकि कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। इस कारण वह अपने नाम के हस्ताक्षर नहीं कर सकती। इसलिए प्रत्येक कम्पनी को एक सार्वमुद्रा का प्रयोग आवश्यक है जो कि अधिकारिक रूप से कम्पनी के लिए हस्ताक्षर करती है। कोई दस्तावेज यदि इस पर कम्पनी की सार्वमुद्रा नहीं है तो कोई कम्पनी इसके लिए बाध्य नहीं होगी।

(7) अंशों का हस्तान्तरण (Transferability of Shares): एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के अंश मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय होते हैं। अंशों के हस्तान्तरण के लिए कम्पनी की अनुमति या किसी सदस्य की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कम्पनी के अन्तर्नियमों में अंशों को हस्तान्तरित करने के तरीके का उल्लेख होता है।

(8) अभियोग चलाना तथा अभियोजित होना (May Sue or be Sued): कानूनी व्यक्ति होने के कारण एक कम्पनी संविदा कर सकती है तथा संविदागत अधिकारों के प्रवर्तन हेतु दूसरों को बाध्य कर सकती है। यह अभियोग चला सकती है तथा यदि कम्पनी संविदा का उल्लंघन करे तो उसके नाम से उस पर अभियोग चलाया जा सकता है।

प्रश्न 2 उन मुख्य श्रेणियों का संक्षिप्त में वर्णन करें जिनमें कम्पनी की अंशपूँजी वर्गीकृत की जाती है।

अथवा

कम्पनी का अंशपूँजी से क्या आशय है? इसका वर्गीकरण भी कीजिये।

उत्तर – कम्पनी की अंशपूँजी (Share Capital of a Company): कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण . अपनी पूँजी को स्वयं उत्पन्न नहीं कर सकती। अतः यह आवश्यक रूप से कुछ व्यक्तियों से एकत्रित की जाती है। ये व्यक्ति कम्पनी के अंशधारी कहलाते हैं तथा इनसे एकत्रित राशि एक कम्पनी की अंशपूँजी कहलाती है। चूँकि कम्पनी के अंशधारियों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए प्रत्येक के लिए अलग - अलग पूँजी खाता नहीं खोला जा सकता। अतः एकत्रित पूँजी के असंख्य भागों को और उसके अस्तित्व को एक सामान्य पूँजी खाता, जो कि अंशपूँजी खाता कहलाता है, में समायोजित कर दिया जाता है। अंशपूँजी का वर्गीकरण लेखांकन की दृष्टि से कम्पनी की अंशपूँजी को निम्न प्रकार श्रेणीबद्ध किया जा सकता है

(1) अधिकृत पूँजी (Authorised Capital): अधिकृत पूँजी, कम्पनी की अंशपूँजी की वह राशि है जो कि कम्पनी के सीमा पार्षद नियम के द्वारा निर्गमित करने हेतु अधिकृत है। कम्पनी सीमा पार्षद नियम में उल्लेखित पूँजी से अधिक राशि को एकत्रित नहीं कर सकती। यह प्राधिकृत या पंजीकृत पूँजी भी कहलाती है। अधिकृत पूँजी को कम्पनी अधिनियम में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कम या ज्यादा किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि कम्पनी समस्त अधिकृत पूँजी को जनता में अभिदान के लिए एक ही समय में निर्गमित करने हेतु बाध्य नहीं है। कम्पनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अंशपूँजी निर्गमित कर सकती है, परन्तु किसी भी स्थिति में यह पूँजी अधिकृत पूँजी से अधिक नहीं हो सकती।

(2) निर्गमित पूँजी (Issued Capital): अधिकृत पूँजी का वह भाग जिसे जनता को अंश अभिदान के लिए वास्तविक रूप से प्रस्तावित किया जाता है उसे निर्गमित पूँजी कहते हैं। इसमें वे अंश भी सम्मिलित हैं जो परिसम्पत्ति विक्रेताओं को तथा कम्पनी के पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं को निर्गमित किए जाते हैं। अधिकृत पूँजी की वह राशि जो कि जनता में अभिदान नहीं की गई है

अनिर्गमित पूँजी कहलाती है तथा इसे आगामी तिथि को किसी भी समय जनता में अभिदान के लिए निर्गमित किया जा सकता है।

(3) अभिदत्त पूँजी (Subscribed Capital): निर्गमित पूँजी का वह भाग जो जनता द्वारा वास्तविक रूप से अभिदत्त किया गया है, अभिदत्त पूँजी कहलाती है। जब अंशों का जनता द्वारा पूर्ण रूप से अभिदान होता है तो निर्गमित पूँजी और अभिदत्त पूँजी समान होगी। यह ध्यान देने योग्य है कि अंततः, अभिदत्त पूँजी और निर्गमित पूँजी समान होती है क्योंकि यदि अभिदान के लिए अंशों की संख्या, निर्गमित संख्या से कम है तो कम्पनी केवल उन्हीं अंशों का आबंटन करेगी जिनके लिए अभिदान प्राप्त हो चुका है। किसी स्थिति में यदि अभिदत्त अंशों की संख्या, निर्गमित अंशों की संख्या से ज्यादा है तो आबंटित अंश, निर्गमित अंशों के समान होंगे। अधि अभिदान के तथ्य, पुस्तकों में प्रदर्शित नहीं किए जाते

(4) माँगी गई या याचित पूँजी (Called - up Capital): यह अभिदत्त पूँजी का वह भाग है जो कि अंशों पर माँगा जाता है। कम्पनी समस्त राशि या अंशों पर अंकित मूल्य के भाग को माँगने का निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आबंटित अंशों का अंकित मूल्य (वास्तविक मूल्य) ₹ 10 है और कम्पनी ने केवल ₹ 7 प्रति अंश माँगा है तो इस स्थिति में माँगी हुई या याचित पूँजी केवल ₹ 7 प्रति अंश होगी। शेष ₹ 3 को अंशधारियों से किसी भी समय आवश्यकतानुसार माँगा जा सकता है।

(5) प्रदत्त पूँजी (Paid - up Capital): यह माँगी गई पूँजी का वह भाग है जो कि अंशधारियों से वास्तव में प्राप्त कर लिया गया है। जब अंशधारी समस्त माँग राशि का भुगतान कर देते हैं तब याचित पूँजी प्रदत्त पूँजी के समान होगी। यदि कोई अंशधारी माँगी गई राशि का भुगतान नहीं करता है तो यह राशि बकाया माँग कहलाती है। इसलिए प्रदत्त पूँजी, माँगी गई पूँजी में से बकाया माँग की राशि को घटाने पर प्राप्त होती है।

(6) अयाचित पूँजी (Uncalled Capital): अभिदत्त पूँजी का वह भाग जो कि अभी तक माँगा नहीं गया है, अयाचित पूँजी कहलाता है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, कम्पनी यह राशि किसी भी समय जब आवश्यकता हो, भविष्य के कोषों (निधियों) के लिए एकत्रित कर सकती है।

(7) आरक्षित पूँजी (Reserve Capital): एक कम्पनी द्वारा अयाचित पूँजी का एक भाग केवल कम्पनी के समापन की दशा के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार की अयाचित राशि कम्पनी की 'आरक्षित पूँजी' कहलाती है। यह कम्पनी के समापन पर केवल लेनदारों के लिए उपलब्ध होती है।

प्रश्न 3 आप अंश से क्या समझते हैं? कम्पनी अधिनियम 2013 संशोधित के अनुसार अंशों की श्रेणियों को स्पष्ट करें।

उत्तर - अंश से आशय (Meaning of Shares): अंश वह इकाई है, जिसमें कम्पनी की कुल पूँजी बँटी होती है। इसलिए एक अंश, कम्पनी की अंशपूँजी का वह भाग है जो कि कम्पनी के स्वामित्व में हित रखने के आधार तैयार करता है। व्यक्ति, जो कि अंशों के द्वारा राशि का योगदान देते हैं कम्पनी के अंशधारी कहलाते हैं।

कम्पनी अधिनियम 2013 संशोधित के अनुसार अंशों की श्रेणियाँ (Classes of Shares) कम्पनी अधिनियम के अनुसार एक कम्पनी दो प्रकार के अंशों का निर्गमन कर सकती है। अर्थात् अंशों की दो श्रेणियाँ होती हैं।

- पूर्वाधिकारी/अधिमानी अंश;
- समता अंश (सामान्य अंश)। इनका वर्णन निम्न प्रकार है।

(1) अधिमानी अंश (Preference Shares): कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अन्तर्गत, एक अधिमान अंश अथवा पूर्वाधिकार अंश वह होता है, जो कि निम्न शर्तों की पूर्ति करता है।

(i) अधिमानी अंशधारियों को एक निश्चित राशि का लाभांश पाने का अथवा प्रत्येक अंश के अंकित मूल्य पर निश्चित दर से परिकल्पित किए गए लाभांश पाने का पूर्वाधिकार होता है। अर्थात् उन्हें समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान से पूर्व लाभांश पाने का अधिकार होता है।

(ii) कम्पनी के समापन पर अधिमानी अंशधारियों को पूँजी वापस प्राप्त करने का अधिकार समता अंश से पूर्व होता यद्यपि उपरोक्त दो शर्तों में, अधिमान अंशधारी कम्पनी के सीमा नियमों अथवा अन्तर्नियमों में पहले से वर्णित अनुसार कम्पनी के आधिक्यों में पूर्ण रूप से या किसी सीमा तक भाग लेने का अधिकार रखते हैं।

अधिमान अंश निम्न प्रकार के हो सकते हैं:

- असंचयी अधिमान अंश
- संचयी अधिमान अंश
- भागी अधिमान अंश
- गैर-भागी अधिमान अंश
- परिवर्तनीय अधिमान अंश
- अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश
- शोधनीय अधिमान अंश
- अशोधनीय अधिमान अंश।

(2) समता अंश (Equity Shares): कम्पनी अधिनियम की 2013 की धारा 43 के अनुसार एक समता अंश, वह अंश है जो अधिमान अंश नहीं है। दूसरों शब्दों में वह अंश जो कि लाभांश के भुगतान या पूँजी के पुनः भुगतान के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं रखता, समता अंश कहलाता है। समता अंशधारी, कम्पनी के लाभों में से उनका भाग, अधिमान अंशधारकों को लाभांश के अधिकार के पश्चात् लेने के अधिकारी होते हैं। समता अंशों पर लाभांश निश्चित नहीं है, यह वर्ष-प्रतिवर्ष बदलता रहता है, जो कि उपलब्ध लाभ में से वितरण की राशि पर निर्भर करता है।

समता अंशपूँजी:

- मताधिकार सहित;
- मताधिकार हेतु विभेदक अधिकार, लाभांश अथवा कम्पनी अन्तर्नियमों में निर्धारित की गई परिस्थितियों के अनुसार हो सकती है।

प्रश्न 4 अधि - अभिदान की स्थिति में कम्पनी के अंशों के आबंटन की प्रक्रिया का वर्णन करें।

अथवा

अंशों के अधि - अभिदान से क्या आशय है? आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का समायोजन किस प्रकार किया जाता है? काल्पनिक उदाहरण से समझाइये।

उत्तर - अंशों का अधि - अभिदान: जब कम्पनी द्वारा प्रस्तावित अंशों की संख्या से अधिक मात्रा में आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं तो इस स्थिति को अंशों का अधि - अभिदान कहा जाता है। कम्पनी प्रविवरण में प्रस्तावित अंशों की संख्या से ज्यादा अंश जारी नहीं कर सकती है। अधि - अभिदान की स्थिति में संचालकों द्वारा अंशों का आबंटन निम्न विकल्पों का प्रयोग करके किया जा सकता है।

- सभी प्रार्थियों को आनुपातिक (Pro-rata) बंटन करना। इस स्थिति में आवेदक की आधिक्य आवेदन-राशि बंटन पर देय राशि की सीमा तक तो रोक ली जाती है तथा उससे अधिक आधिक्य आवेदन राशि आवेदक को लौटा दी जाती है।
- कुछ आवेदकों को उनके द्वारा आवेदित सभी अंशों का बंटन कर दिया जाता है तथा जिन आवेदकों को बंटन नहीं किया जाता है उनकी आवेदन राशि खेद-पत्र के साथ वापस आवेदक को लौटा दी जाती है।
- कुछ आवेदकों को उनके द्वारा आवेदित सभी अंशों का बंटन करना, कुछ आवेदकों को आनुपातिक बंटन करना तथा शेष आवेदकों को बिल्कुल बंटन न करना।

अधि - अभिदान की दशा में आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का समायोजन निम्नानुसार किया जा सकता है:

- जिन आवेदकों को अंशों का बंटन नहीं किया जाता, उनकी राशि खेद-पत्र के साथ वापस आवेदक को लौटा दी जाती है।
- जिन आवेदकों को यथानुपात बंटन (प्रस्तावित अंशों एवं आवेदित अंशों के मध्य अनुपात) किया जाता है, उन अंशों पर प्राप्त अतिरिक्त आवेदन राशि को बंटन तथा आगे की मांगों पर देय राशि में समायोजन किया जा सकता है।

किसी मान्यता प्राप्त स्कन्ध विपणि में सूचीबद्ध कम्पनी, कम्पनी अधिनियम की धारा 73(3A) के अनुसार, स्कन्ध विपणि की आज्ञा प्राप्त होने पर ही अपने अंशों व ऋणपत्रों के आवेदन पर प्राप्त राशि के आधिक्य का उपयोग आबंटन तथा याचनाओं के लिए कर सकती है।

आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त आवेदन राशि के समायोजन का कात्पनिक उदाहरण सुनीता लिमिटेड ने 10 ₹ वाले 60,000 समता अंश निर्गमित किये जो इस प्रकार देय थे 5 ₹ आवेदन-पत्र के साथ,

3 ₹ आवंटन पर तथा 2 ₹ माँग पर। 1,30,000 अंशों के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। अत्यधिक अभिदान के कारण निम्न प्रकार से आवंटन किया गया था

क्र. सं.	आवेदित अंशों के वर्ग	आवेदित अंश	आवंटित अंशों की संख्या
(A)	2000 अंशों से अधिक	6,000	6,000
(B)	1000 से अधिक 2000 अंश तक	50,000	16,000
(C)	600 से अधिक 1000 अंश तक	40,000	16,000
(D)	600 अंश या इससे कम	34,000	22,000
		1,30,000	60,000

आवेदन राशि की पूर्ति करने के पश्चात् प्राप्त रोकड़ को आवंटन तथा माँग पर देय राशि के भुगतान करने के लिए रख लिया गया। इससे आधिक्य आवेदन राशि (यदि शेष हो) वापस कर दी गई। समस्त अंशधारियों ने समय पर आवश्यक राशियों का भुगतान कर दिया।

प्रश्न 5 अधिमानी अंश क्या हैं? विभिन्न प्रकार के अधिमानी अंशों का वर्णन करें।

अथवा

पूर्वाधिकार अंश से क्या आशय है? पूर्वाधिकार अंश के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर – अधिमानी/पूर्वाधिकार अंश (Preference Shares):

पूर्वाधिकार या अधिमान अंश वे अंश होते हैं जिन्हें निम्न दो पूर्वाधिकार होते हैं

- समता अंशों से पूर्व लाभांश प्राप्त करने का अधिकार।
- कम्पनी के समापन के समय समता अंशों से पूर्व पूँजी वापसी का अधिकार।

अधिमानी/पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार कुछ विशेष अधिकारों के आधार पर पूर्वाधिकार अंश निम्न प्रकार के हो सकते हैं

(1) असंचयी पूर्वाधिकार अंश (Non-Cumulative Preference Shares): असंचयी पूर्वाधिकार अंश वे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनके धारकों को बकाया लाभांश को भविष्य में प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, अर्थात् यदि कोई कम्पनी अपने पूर्वाधिकार अंशों पर लाभ न होने

या अपर्याप्त लाभ होने के कारण किसी वर्ष का लाभांश देने में असमर्थ रही हो तो इन पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को भविष्य में ऐसे लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है।

(2) **संचयी पूर्वाधिकार अंश (Cumulative Preference Shares):** संचयी पूर्वाधिकार अंश वे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनके धारकों को समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान से पूर्व बकाया लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार होता है।

(3) **अवशिष्टभागी पूर्वाधिकार अंश (Participating Preference Shares):** यदि कम्पनी के अन्तर्नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान करने के पश्चात् शेष बचे लाभों में से पूर्वाधिकार अंशों के धारकों को भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो तो उन्हें अवशिष्टभागी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं।

(4) **अनावशिष्टभागी पूर्वाधिकार अंश (Non-Participating Preference Shares):** ऐसे पूर्वाधिकार अंश, जिनके धारकों को समता अंशधारियों को लाभांश भुगतान करने के पश्चात् शेष बचे लाभों में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, अनावशिष्टभागी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं।

(5) **परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश (Convertible Preference Shares):** ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनके धारकों को यह अधिकार प्रदान किया जाता है कि वे एक निश्चित तिथि तक अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तन करा सकते हैं, परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं।

(6) **अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश (Non-Convertible Preference Shares):** अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनके धारकों को, अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं होता है।

(7) **शोधनीय पूर्वाधिकार अंश (Redeemable Preference Shares):** पूर्वाधिकार अंश जिनका शोधन (भुगतान), कम्पनी द्वारा एक निश्चित तिथि को या उससे पूर्व किया जा सकता है, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं।

(8) **अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश (Irredeemable Preference Shares):** अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश जिनका शोधन कम्पनी के समापन के समय ही किया जा सकता है, अशोधनीय

पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। कम्पनी अधिनियम, 2013 अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश निर्गमन की अनुमति प्रदान नहीं करता है

प्रश्न 6 माँग की बकाया राशि और माँग की अग्रिम राशि से सम्बन्धित विधि के प्रावधानों का वर्णन करें।

अथवा

बकाया माँग और अग्रिम माँग को विस्तार से समझाइये।

उत्तर – बकाया माँग (Calls in Arrears): अनेक बार कम्पनी द्वारा माँगी गई पूँजी का भाग अंशधारियों द्वारा देय तिथि तक चुकाया नहीं जाता। जब कोई अंशधारी माँगी गई आबंटन की राशि या माँग राशि का भाग देय तिथि तक नहीं चुका पाता तो इस राशि को बकाया माँग कहते हैं। बकाया माँग राशि सभी माँग खातों का नाम शेष दर्शाती है तथा इस राशि को खातों की टिप्पणी में प्रदर्शित किया जाएगा तथा इसको चुकता पूँजी में से घटाकर तुलन-पत्र के दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है।

जहाँ एक कम्पनी 'बकाया माँग खाता' तैयार करती है, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त रोजनामचा प्रविष्टि की जाएगी। यद्यपि ऐसा करना आवश्यक नहीं है।

Calls in Arrears A/c
To Share First Call A/c
To Share Second and Final Call A/c
(Calls in arrears brought into account)

Dr.

बकाया माँगों पर ब्याज (Interest on Calls in Arrear): कम्पनी के सीमा अन्तर्नियम सामान्यतः कम्पनी के संचालकों को बकाया माँग राशि पर ब्याज वसूलने तथा ब्याज की राशि के निर्दिष्ट दर से परिवर्तन करने का अधिकार देते हैं। यदि अन्तर्नियमों में इसका कोई प्रावधान न हो तो 'सारणी-एफ' में दिए गए नियम के अनुसार ब्याज लगाया जाएगा जो कि 10% की दर से अधिक नहीं हो सकता है। भुगतान किए जाने वाले ब्याज की गणना निर्धारित तिथि तथा अंशधारी द्वारा वास्तविक भुगतान की तिथि के मध्य की समयावधि के लिए की जाएगी।

माँग राशि के ब्याज सहित प्राप्ति पर, ब्याज की राशि को ब्याज खाते में जबकि माँग राशि को क्रमशः माँग खाते अथवा बकाया माँग खाते में जमा किया जाएगा। जब अंशधारी बकाया माँग राशि का ब्याज सहित भुगतान करता है तो इस सम्बन्ध में प्रविष्टि निम्न प्रकार से होगी

Bank A/c	Dr.
To Calls in Arrears A/c	
To Interest on Calls in Arrears A/c	
(Calls in arrears received with interest)	

[नोट-यदि प्रश्न में कुछ भी वर्णित नहीं है, तो माँग पर ब्याज की राशि को लेखे में ले जाने तथा उपरोक्त प्रविष्टि करने की कोई आवश्यकता नहीं है।]

अग्रिम माँग राशि (Calls in Advance): कभी-कभी कोई अंशधारी भविष्य में की जाने वाली माँगों का भुगतान पहले ही कर देता है। इस प्रकार प्राप्त राशियों का भुगतान माँग देय होने के पहले ही कर देने के कारण इन्हें अग्रिम प्राप्त माँगों कहा जाता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार प्राप्त अग्रिम राशियों को अग्रिम प्राप्त माँग खाते में अन्तरित कर दिया जाता है।

Bank A/c	Dr.
To Calls in Advance A/c	(अंशों की अग्रिम प्राप्त माँग राशि से)
(Amount received on shares @ ₹..... per share in anticipation of future calls)	

प्राप्त की गयी अग्रिम माँग राशि अंश पूँजी का भाग नहीं होती है। अतः इसे चिट्ठे में 'Current Liabilities' संजीव पास बुक्स शीर्षक में Other Current Liabilities के अन्तर्गत 'Calls in Advance' के नाम से दिखलाया जाता है। ऐसी राशि पर लाभांश नहीं दिये जाते हैं। अग्रिम प्राप्त माँग राशि पर ब्याज-यदि अन्तर्नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था हो, तो 'अग्रिम प्राप्त' राशियों पर ब्याज दिया जा सकता है। कम्पनी द्वारा सारणी 'एक' अपनाई जाने पर अग्रिम प्राप्त राशियों पर अधिकतम 12% वार्षिक दर से ब्याज दिया जायेगा। अग्रिम माँग राशि पर ब्याज की गणना ऐसी राशि की प्राप्ति की तिथि से आगामी माँग राशि के देय होने की तिथि तक की जायेगी।

अग्रिम माँग के सम्बन्ध में ब्याज की राशि का लेखांकन व्यवहार निम्न प्रकार होगा:

(1) ब्याज की राशि के भुगतान पर

Interest on Calls in Advance A/c
To Bank A/c
(Interest paid on Calls in Advance) Dr.

अथवा

(2) (i) ब्याज देय होने पर:

Interest on Calls in Advance A/c
To Sundry Shareholders' A/c
(Interest due on Calls in Advance) Dr.

(ii) ब्याज की राशि के भुगतान पर

Sundry Shareholders' A/c
To Bank A/c
(Interest paid on Calls in Advance) Dr.

जब वास्तव में माँग राशि देय होती है तो अग्रिम माँग राशि के समायोजन के सम्बन्ध में निम्न रोजनामचा प्रविष्टि की जाती है

Calls in Advance A/c
To Particular Call A/c
(Calls in advance adjusted with the call money due) Dr.

प्रश्न 7 अधि-अभिदान और अल्प (न्यून) अभिदान शब्दों को स्पष्ट करें। लेखा पुस्तकों में इसका लेखा किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर – अधि - अभिदान (Over Subscription): अनेक बार कम्पनी को जनता में निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं, जो कि अधि-अभिदान कहलाता है। ऐसा अक्सर कम्पनी की मजबूत/सुदृढ़ वित्तीय स्थिति एवं अच्छे प्रबन्ध के कारण होता है। कम्पनी प्रविवरण में प्रस्तावित अंशों की संख्या से ज्यादा अंश जारी नहीं कर सकती है। अतः अधि-अभिदान की स्थिति में संचालकों के पास इसके व्यवहार के लिए निम्न तीन विकल्प मौजूद हैं

- कुछ आवेदनों को पूर्ण रूप से स्वीकार करके तथा शेष को पूर्ण रूप से मना कर दिया जाता है;

- सभी आवेदकों के अंशों का आबंटन आनुपातिक या समानुपात रूप में किया जा सकता है; तथा
- उपरोक्त दोनों विधियों को संयुक्त रूप से लागू कर सकते हैं, जो कि व्यवहार में सबसे सामान्य विधि है।

लेखा पुस्तकों में लेखा:

लेखांकन के दृष्टिकोण से अधि-अभिदान की स्थिति को आवेदन और आबंटन के सम्पूर्ण ढाँचे के अन्दर रखा जाता है। उपर्युक्त तीनों स्थितियों में लेखा निम्न प्रकार किया जाता है।

(1) जब संचालक कुछ आवेदन को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं तथा अन्य को पूर्ण रूप से रद्द कर देते हैं, तो रद्द आवेदन से प्राप्त राशि को पूर्ण रूप से लौटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक कम्पनी ने 20,000 अंशों के लिए आमंत्रण किया तथा 25,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए। संचालकों ने 5,000 अंशों के लिए किए गए आवेदन को बिल्कुल रद्द कर दिया जो कि आवश्यक संख्या से अधिक थे और आवेदन राशि को पूर्ण रूप से वापस कर दिया गया। इस स्थिति में आवेदन और आबंटन पर अग्रंकित रोजनामचा प्रविष्टि की जाएगी

(i)	Bank A/c	Dr.
	To Share Application A/c	
	(Money received on application for 25,000 shares @ ₹ _ per share)	
(ii)	Share Application A/c	Dr.
	To Share Capital A/c	
	To Bank A/c	
	(Transfer of application money for 20,000 shares allotted and money refunded on applications for 5,000 shares rejected)	
(iii)	Share Allotment A/c	Dr.
	To Share Capital A/c	
	(Amount due on the allotment of 20,000 shares @ ₹ _ per share)	
(iv)	Bank A/c	Dr.
	To Share Allotment A/c	
	(Allotment money received)	

(2) जब संचालक सभी आवेदकों को आनुपातिक (प्रो-राटा) आबंटन करते हैं इस स्थिति में आवेदन से प्राप्त अधिक राशि की प्राप्ति सामान्यतः देय आबंटन राशि के साथ समायोजित कर दी जाती है।

ऐसी स्थिति में यद्यपि अंशों पर देय आबंटन राशि से अधिक राशि की प्राप्ति को या तो वापस कर दिया जाएगा या अग्रिम माँग में जमा कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, 20,000 अंशों के लिए आमंत्रण किए गए और 25,000 अंशों के लिए आवेदन आने की स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि आवेदकों को अंशों का आबंटन 4 :5 के अनुपात में किया जाए। यह प्रो-राटा आबंटन की स्थिति कहलाती है और 5,000 अंशों पर प्राप्त अधिक राशि को 20,000 अंशों पर देय आबंटन की राशि के साथ समायोजित किया जाएगा। इस स्थिति में आवेदन और आबंटन की रोजनामचा प्रविष्टि निम्नांकित प्रकार होगी:

(i)	Bank A/c	Dr.
	To Share Application A/c	
	(Application money received on 25,000 shares @ ₹ _ per share)	
(ii)	Share Application A/c	Dr.
	To Share Capital A/c	
	To Share Allotment A/c	
	(Transfer of application money to share capital and the excess application money on 5,000 shares credited to share allotment account)	
(iii)	Share Allotment A/c	Dr.
	To Share Capital A/c	
	(Amount due on allotment of 25,000 shares @ ₹ _ per share)	
(iv)	Bank A/c	Dr.
	To Share Allotment A/c	
	(Allotment money received after adjusting the amount already received as excess application money)	

(3) जब कुछ अंशों पर किए गए आवेदन को रद्द किया जाता है और शेष अंशों के लिए आनुपातिक आबंटन किया जाता है, तो रद्द किए गए आवेदनों की पूर्ण राशि को वापस लौटाया जाता है और जिन आवेदकों को आनुपातिक आबंटन किया गया है, उनसे प्राप्त अधिक राशि को आबंटन राशि देय होने के साथ समायोजित किया जाएगा।

उदाहरण के लिए, एक कम्पनी 10,000 अंशों के आवेदन के लिए आमंत्रण देती है और उसे 15,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं। संचालकों ने 2,500 अंशों के लिए किए गए आवेदनों को रद्द कर दिया और शेष 12,500 अंशों के आवेदकों को 10,000 अंशों का आनुपातिक आबंटन किया गया। इस प्रकार प्रत्येक पाँच अंशों के आवेदन के लिए चार अंशों का आबंटन किया गया। इस स्थिति में 2,500 अंशों के लिए आवेदन को रद्द किया गया और प्राप्त राशि को पूर्ण रूप से लौटा

दिया गया, और शेष बचे 2,500 अंशों (12,500 – 10,000) को 10,000 अंशों के लिए देय आबंटन राशि के साथ समायोजित किया जाएगा। इस स्थिति में आवेदन और आबंटन की रोजनामचा प्रविष्टियाँ निम्नांकित प्रकार होंगी

(i)	Bank A/c To Share Application A/c (Money received on application for 15,000 shares @ ₹ _ per share)	Dr.
(ii)	Share Application A/c To Share Capital A/c To Share Allotment A/c To Bank A/c (Transfer of application money to share capital, and the excess application amount of pro-rata allottees credited to share allotment and the amount for rejected applications refunded)	Dr.
(iii)	Share Allotment A/c To Share Capital A/c (Amount due on the allotment of 10,000 shares @ ₹ _ per share)	Dr.
(iv)	Bank A/c To Share Allotment A/c (Allotment money received after adjusting the amount already received as excess application money)	Dr.

न्यून अभिदान (Under Subscription): न्यून अभिदान एक ऐसी स्थिति है जब कम्पनी को अभिदान के लिए आमंत्रित किए गए अंशों से कम अंशों पर आवेदन प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, एक कम्पनी ने जनता में अभिदान के लिए 3,00,000 अंशों का आमंत्रण दिया लेकिन 2,90,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। इस परिस्थिति में केवल 2,90,000 अंशों के लिए आबंटन निश्चित किया जाएगा और सभी प्रविष्टियाँ इसके अनुसार की जाएँगी। न्यून अभिदान की स्थिति में यह निश्चित कर लेना आवश्यक है कि कम्पनी ने न्यूनतम अभिदान (Minimum Subscription) प्राप्त कर लिया हो।

प्रश्न 8 उन उद्देश्यों का वर्णन करें जिनके लिए कम्पनी प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का प्रयोग कर सकती

उत्तर – एक कम्पनी निम्न उद्देश्यों के लिए प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का प्रयोग कर सकती है

- पूर्ण भुगतान बोनस अंश के निर्गमन हेतु, जो कि इस सन्दर्भ में जारी न की गई अंशपूँजी से ज्यादा न हो; कम्पनी के प्रारम्भिक व्ययों को अपलिखित करने हेतु;
- कम्पनी के व्ययों को अपलिखित करने, या कमीशन का भुगतान, या प्रतिभूतियों पर बढ़ा प्रदान या बट्टे को अपलिखित करने हेतु;
- अधिमानी अंशों के मोचन पर अधिमूल्य का भुगतान और कम्पनी के ऋणपत्रों के मोचन पर अधिमूल्य का भुगतान करने हेतु;
- स्वयं के अंशों का क्रय अर्थात् अंशों का पुनः क्रय करने हेतु।

प्रश्न 9 उन परिस्थितियों का स्पष्ट रूप से वर्णन करें जिनके अन्तर्गत कम्पनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन कर सकती है।

उत्तर – अंशों का बट्टे पर निर्गमन (Issue of Shares at a Discount):

कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं जब कम्पनी के अंशों को बट्टे पर निर्गमित किया जाता है। अंकित मूल्य या अंशों के समता मूल्य से कम की राशि पर निर्गमन अंशों का बट्टे पर निर्गमन कहलाता है। अंकित कीमत और निर्गमित कीमत के मध्य अन्तर, अंशों पर बट्टे की राशि को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जब ₹ 100 की कीमत का कोई अंश ₹ 98 में जारी किया जाता है, तो यह अंशों का 2 प्रतिशत बट्टे पर निर्गमन कहलाएगा। वर्तमान में एक कम्पनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती है। बट्टे पर निर्गमन केवल हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर और स्वेट (Sweat) इक्विटी अंशों के निर्गमन पर ही किया जा सकता है।

हरण किए गए अंशों का निर्गमन बट्टे पर भी किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में यह स्मरणीय है कि बट्टा की राशि, हरण किए गए अंशों की वास्तविक प्राप्त राशि से अधिक नहीं होगी और हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर प्रदान बट्टे को अंश हरण खाते में नाम किया जाएगा।

प्रश्न 10 अंशों का हरण शब्द की व्याख्या करें और हरण की लेखा विधि को बताएँ।

उत्तर – अंशों का हरण (Forfeiture of Shares):

जब कोई अंशधारी माँग राशियों का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो कम्पनी द्वारा उसे उचित सूचना व अवसर देकर तालिका 'अ' के प्रावधानों के अनुसार उसके अंशों का हरण कर लिया जाता

है तथा उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। कम्पनी द्वारा अंशों के जब्त किये जाने को ही 'अंशों का हरण' कहते हैं। अंशों के हरण की प्रक्रिया-कम्पनी को अंश जब्त करने का अधिकार प्रायः अन्तर्नियमों में दिया जाता है। अन्तर्नियमों में अंश हरण का अधिकार न हो तथा कम्पनी पर तालिका 'अ' भी लागू नहीं होती है तो कम्पनी अंशों का हरण नहीं कर सकती है।

कम्पनी द्वारा अंशों का हरण करने से पूर्व सम्बन्धित अंशधारी को 14 दिन की अवधि का एक रजिस्टर्ड नोटिस भेजा जाता है जिसमें कि बकाया राशि को निश्चित तिथि तक चुकाने के बारे में कहा जाता है, न चुकाने पर अंश जब्त करने के बारे में उल्लेख कर दिया जाता है। इस नोटिस के बाद भी यदि अंशधारी निश्चित तिथि तक बकाया राशि जमा नहीं कराता है तो उसे एक और स्मरण-पत्र भेजा जाता है। यदि इस पर भी भुगतान नहीं किया जाता है तो संचालक मण्डल की सभा में अंश हरण का प्रस्ताव पारित करके इसकी सूचना अंशधारी को भी दे जाती है। अंशधारी का नाम सदस्य-रजिस्टर से काट दिया जाता है तथा अंशों पर उस तिथि तक प्राप्त राशि भी जब्त कर ली जाती है। अंश हरण के लिए इस सम्बन्ध में दी गई प्रक्रिया का बड़ी सख्ती से पालन करना होता है।

अंश हरण की लेखाविधि:

(1) सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण-जब अंशों का हरण किया जाता है तो हरण से सम्बन्धित सभी प्रविष्टियाँ, जो कि लेखों में पहले से ही प्रलेखित की जा चुकी हैं, की विपरीत प्रविष्टि की जाएगी। इसके अनुसार अंशपूँजी खाते को हरण किए गए अंशों के सम्बन्ध में माँगी गई राशि से नाम किया जाएगा और (1) इस सम्बन्ध में भुगतान नहीं किया गया माँग खाता या बकाया माँग खाता, न भुगतान की गई राशि जैसी भी स्थिति हो से, और (2) अंश हरण खाते को पहले से प्राप्त राशि में जमा करेंगे।

(2) अधिमूल्य (Premium) पर निर्गमित अंशों का हरण-जब अंशों को अधिमूल्य पर निर्गमित किया जाता है और अधिमूल्य राशि की पूर्ण रूप से वसूली कर ली जाती है, तथा बाद में कुछ अंशों की माँगी गई राशि के भुगतान न होने के कारण हरण कर लिया जाता है तो जब्त अंशों का लेखांकन व्यवहार, सममूल्य पर निर्गमित अंशों की तरह ही होगा। अर्थात् अंश अधिमूल्य खाते को, हरण के

समय नाम नहीं किया जाएगा, यदि हरण किए गए अंशों के सम्बन्ध में अधिमूल्य को प्राप्त कर लिया गया है।

इस स्थिति में यदि अधिमूल्य राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया गया है तो हरण किए गए अंशों के सम्बन्ध में, अंश प्रीमियम आरक्षित खाते को भी अप्राप्त अधिमूल्य राशि और अंशपूँजी खाते को अंशों के हरण के समय नाम किया जाएगा। आमतौर पर यह स्थिति आबंटन के समय देय राशि के प्राप्त न होने पर उत्पन्न होती है।

संख्यात्मक प्रश्न (Numerical Questions):

प्रश्न 1 अनीश लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 30,000 समता अंशों को निर्गमित किया जो ₹ 30 आवेदन पर, ₹ 50 आबंटन पर और ₹ 20 प्रथम और अन्तिम माँग पर देय हैं। सभी राशि विधिवत् प्राप्त की गई। इन व्यवहारों को कम्पनी के रोजनामचे में अभिलेखित करें।

उत्तर – Books of Anish Limited Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
(1)	Bank A/c Dr. To Equity Share Application A/c (Being application money received for 30,000 equity shares @ ₹ 30 per share)		₹ 9,00,000	₹ 9,00,000
(2)	Equity Share Application A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Equity share application money transferred to Equity Share Capital A/c)		9,00,000	9,00,000
(3)	Equity Share Allotment A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being Allotment money due @ ₹ 50 per share)		15,00,000	15,00,000
(4)	Bank A/c Dr. To Equity Share Allotment A/c (Being Allotment money received)		15,00,000	15,00,000
(5)	Equity Share 1st & Final Call A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being 1st & Final call due @ ₹ 20 per share)		16,00,000	16,00,000
(6)	Bank A/c Dr. To Equity Share 1st & Final Call A/c (Being 1st & Final call money received)		6,00,000	6,00,000

प्रश्न 2 आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड की ₹ 3,00,000 की अधिकृत पूँजी, जो कि ₹ 10 प्रत्येक अंश के 30,000 अंशों में विभाजित है, से पंजीकृत है। जनता को आमंत्रित की गई जिस पर ₹ 3 प्रति अंश आवेदन पर; ₹ 4 प्रति अंश आबंटन पर, ₹ 3 प्रति अंश प्रथम एवं अन्तिम माँग पर देय हैं। इन अंशों पर पूर्ण अभिदान प्राप्त हुआ और सभी राशियाँ प्राप्त की गईं। रोजनामचा और रोकड़ पुस्तक तैयार करें।

उत्तर – Books of The Adarsh Control Device Limited Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
(1)	Share Application A/c To Share Capital A/c (Being application money transferred to Share Capital A/c)	Dr.	₹ 90,000	₹ 90,000
(2)	Share Allotment A/c To Share Capital A/c (Being allotment money due on 30,000 shares @ ₹ 4 each)	Dr.	1,20,000	1,20,000
(3)	Share First & Final Call A/c To Share Capital A/c (Being first and final call money due @ ₹ 3 per share)	Dr.	90,000	90,000

Cash Book (Bank Column only)

Dr.			Cr.		
Date	Particulars	Amount ₹	Date	Particulars	Amount ₹
	To Share Application	90,000		By Balance c/d	3,00,000
	To Share Allotment	1,20,000			
	To Share First & Final Call A/c	90,000			
		3,00,000			3,00,000

प्रश्न 3 सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक अंश के 20,000 समता अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए, जिन पर ₹ 40 आवेदन पर; ₹ 30 आबंटन पर; ₹ 30 प्रथम और अन्तिम माँग पर देय है। कम्पनी ने 32,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किया। 2,000 अंशों के आवेदकों को राशि वापस लौटा दी गई। 10,000 अंशों के आवेदनों को पूर्ण स्वीकार कर लिया गया

और 20,000 अंशों के आवेदकों को आवेदन किए गए अंशों के आधे अंश आबंटित किए गए और आधिक्य राशि को आबंटन में समायोजित कर लिया गया। आबंटन और देय सभी राशि प्राप्त की गई। रोजनामचा और रोकड़ पुस्तक तैयार करें।

उत्तर – Books of Software Solution India Limited Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
			₹	₹
(1)	Equity Share Application A/c To Equity Share Capital A/c To Equity Share Allotment A/c To Equity Share First & Final Call A/c (Application money transferred to Equity Share Capital A/c and excess money adjusted)	Dr.	12,00,000	8,00,000 3,00,000 1,00,000
(2)	Equity Share Allotment A/c To Equity Share Capital A/c (Being allotment money due)	Dr.	6,00,000	6,00,000
(3)	Equity Share First & Final Call A/c To Equity Share Capital A/c (Being first & final call money due)	Dr.	6,00,000	6,00,000

Cash Book (Bank Column only):

Dr.			Cr.		
Date	Particulars	Amount ₹	Date	Particulars	Amount ₹
	To Equity Share Application	12,80,000		By Equity Share Application A/c	80,000
	To Equity Share Allotment A/c	3,00,000		By Balance c/d	20,00,000
	To Equity Share First & Final Call A/c	5,00,000			
		20,80,000			20,80,000

Working Note :

Shares	Amount	Alloted	Application	Allotment	First & Final Call	Refund
2,000	80,000	—	—	—	—	80,000
10,000	4,00,000	10,000	4,00,000	—	—	—
20,000	8,00,000	10,000	4,00,000	3,00,000	1,00,000	—

प्रश्न 4 रूपक लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 10,000 अंशों का निर्गमन किया, जिन पर ₹ 20 प्रति अंश आवेदन पर, ₹ 30 प्रति अंश आबंटन पर और ₹ 25 प्रति अंश की दो माँग में देय है। आवेदन और आबंटन राशि प्राप्त कर ली गई। प्रथम माँग पर एक सदस्य के अतिरिक्त जिसके पास 200 अंश हैं, सभी सदस्यों ने अपनी देय राशि का भुगतान किया जबकि एक अन्य सदस्य जिसके पास 500 अंश हैं शेष देय राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया। अन्तिम माँग अभी माँगी नहीं गई है। रोजनामचा और रोकड़ पुस्तक तैयार करें।

उत्तर – Books of Rupak Limited Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
			₹	₹
(1)	Share Application A/c To Share Capital A/c (Being application money transferred to Share Capital A/c)	Dr.	2,00,000	2,00,000
(2)	Share Allotment A/c To Share Capital A/c (Being allotment money due)	Dr.	3,00,000	3,00,000
(3)	Share First Call A/c To Share Capital A/c (Being first call money due)	Dr.	2,50,000	2,50,000
(4)	Calls in Arrears A/c To Share First Call A/c (Being amount on 100 shares not received)	Dr.	5,000	5,000

Cash Book (Bank Column only):

Dr.			Cr.		
Date	Particulars	Amount ₹	Date	Particulars	Amount ₹
	To Share Application A/c	2,00,000		By Balance c/d	7,57,500
	To Share Allotment A/c	3,00,000			
	To Calls in Advance A/c	12,500			
	To Share First Call A/c	2,45,000			
		<u>7,57,500</u>			<u>7,57,500</u>

प्रश्न 5 मोहित ग्लास लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 20,000 अंशों का ₹ 110 प्रति अंश में निर्गमन किया। जिन पर ₹ 30 आवेदन पर; ₹ 40 आबंटन पर (प्रीमियम); ₹ 20 प्रथम माँग पर; और ₹

20 अन्तिम माँग पर देय है। 24,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और 20,000 अंशों का आबंटन किया गया और 4,000 अंशों को अस्वीकार करके उन पर प्राप्त राशि लौटा दी गई। सभी राशि प्राप्त की गई। रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

उत्तर – Books of Mohit Glass Limited Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
			₹	₹
(1)	Bank A/c To Share Application A/c (Being application money received on 24,000 shares @ ₹ 30 per share)	Dr.	7,20,000	7,20,000
(2)	Share Application A/c To Bank A/c To Share Capital A/c (Being application money transferred to Share Capital A/c)	Dr.	7,20,000	1,20,000 6,00,000
(3)	Share Allotment A/c To Share Capital A/c To Securities Premium Reserve A/c (Being allotment money due including premium)	Dr.	8,00,000	6,00,000 2,00,000
(4)	Bank A/c To Share Allotment A/c (Being allotment money received)	Dr.	8,00,000	8,00,000
(5)	Share First Call A/c To Share Capital A/c (Being share first call money due)	Dr.	4,00,000	4,00,000
(6)	Bank A/c To Share First Call A/c (Being first call money received)	Dr.	4,00,000	4,00,000
(7)	Share Final Call A/c To Share Capital A/c (Being final call money due)	Dr.	4,00,000	4,00,000
(8)	Bank A/c To Share Final Call A/c (Being share final call money received)	Dr.	4,00,000	4,00,000

प्रश्न 6 एक लिमिटेड कम्पनी ने ₹ 10 प्रत्येक के 1,00,000 समता अंशों को ₹ 2 प्रति अंश प्रीमियम पर; ₹ 10 प्रत्येक के 2,00,000; 10% अधिमान अंशों का सममूल्य के लिए अभिदान आमंत्रित किया। अंशों पर देय राशि निम्न प्रकार है। सभी अंशों पर पूर्ण अभिदान प्राप्त हुआ, माँगी गई राशि

प्राप्त हुई। कम्पनी की पुस्तकों में निम्न व्यवहारों को रोजनामचा और रोकड़ पुस्तक में अभिलेखित करें।

उत्तर – Books of A Limited co Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit ₹	Credit ₹
(1)	Equity Share Application A/c	Dr.	3,00,000	
	10% Preference Share Application A/c	Dr.	6,00,000	
	To Equity Share Capital A/c			3,00,000
	To 10% Preference Share Capital A/c			6,00,000
	(Being application money transferred to Share Capital)			
(2)	Equity Share Allotment A/c	Dr.	5,00,000	
	10% Preference Share Allotment A/c	Dr.	8,00,000	
	To Equity Share Capital A/c			3,00,000
	To Securities Premium Reserve A/c			2,00,000
	To 10% Preference Share Capital A/c			8,00,000
	(Being equity and preference share allotment money due)			
(3)	Equity Share First & Final Call A/c	Dr.	4,00,000	
	10% Preference Share First & Final Call A/c	Dr.	6,00,000	
	To Equity Share Capital A/c			4,00,000
	To 10% Preference Share Capital A/c			6,00,000
	(Being equity and preference first and final call money due)			

Cash Book (Bank Column only):

Dr.			Cr.		
Date	Particulars	Amount ₹	Date	Particulars	Amount ₹
	To Equity Share Application A/c	3,00,000		By Balance c/d	32,00,000
	To 10% Preference Share Application A/c	6,00,000			
	To Equity Share Allotment A/c	5,00,000			
	To 10% Preference Share Allotment A/c	8,00,000			
	To Equity Share First & Final Call A/c	4,00,000			
	To 10% Preference Share First & Final Call A/c	6,00,000			
		<u>32,00,000</u>			<u>32,00,000</u>

प्रश्न 7 ईस्टर्न कम्पनी लिमिटेड, जिसकी अधिकृत पूँजी ₹ 10,00,000 है जो कि ₹ 10 प्रति समता अंश में विभाजित हैं. कम्पनी ने 50,000 अंश ₹ 3 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए जो इस प्रकार देय हैं।

आवेदन पर	₹ 3 प्रति अंश
आबंटन पर (प्रीमियम सहित)	₹ 5 प्रति अंश
प्रथम माँग पर (आबंटन के तीन महीने बाद देय)	₹ 3 प्रति अंश

और शेष राशि आवश्यकता पड़ने पर 60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए एवं निदेशकों ने निम्न प्रकार अंशों का आबंटन किया

(अ) 40,000 अंशों के पूर्ण आवेदकों को पूर्ण

(ब) 15,000 अंशों के आवेदकों को 8,000 अंश आबंटित हुए

(स) 5,000 अंशों के आवेदकों को 2,000 अंशों का आबंटन हुआ। अतिरिक्त राशि वापस कर दी गई। आबंटन पर देय सभी राशियाँ प्राप्त कर ली गईं। यथाविधि प्रथम माँग की गई और 100 अंशों पर देय माँग को छोड़कर राशि प्राप्त कर ली गई। कम्पनी के इन व्यवहारों को रोजनामचा एवं रोकड़ बही में लिखें और कम्पनी का तुलन-पत्र भी तैयार करें।

उत्तर – Books of Eastern Company Limited Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
			₹	₹
(1)	Equity Share Application A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Equity Share Allotment A/c (Being share application money transferred to Capital A/c and excess money adjusted)		1,80,000	1,50,000 30,000
(2)	Equity Share Allotment A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Securities Premium Reserve A/c (Being allotment money due including premium)		2,50,000	1,00,000 1,50,000
(3)	Equity Share First Call A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being first call money due)		1,50,000	1,50,000
(4)	Calls in Arrears A/c Dr. To Equity Share First Call A/c (Being calls-in-arrears on 100 shares)		300	300

Cash Book (Bank Column only):

Dr.			Cr.		
Date	Particulars	Amount ₹	Date	Particulars	Amount ₹
	To Equity Share Application A/c	1,80,000		By Balance c/d	5,49,700
	To Equity Share Allotment A/c	2,20,000			
	To Equity Share First Call A/c	1,49,700			
		<u>5,49,700</u>			<u>5,49,700</u>

Balance Sheet (Extract):

Particulars	Note No.	Current Year ₹
I. EQUITY AND LIABILITIES :		
(1) Shareholders' Funds :		
(a) Share Capital	1	3,99,700
(b) Reserves & Surplus	2	1,50,000
		<u>5,49,700</u>
II. ASSETS :		
Current Assets :		
Cash and Cash Equivalents	3	5,49,700

Notes to Accounts:

Particulars	Details	₹
(1) Share Capital :		
Authorised Capital :		
1,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each		10,00,000
Issued Subscribed & Paid-up Capital		
50,000 Equity Shares of ₹ 10 each and ₹ 8 per share called-up	4,00,000	
Less : Calls-in-Arrears (100 × 3)	300	3,99,700
(2) Reserve & Surplus :		
Securities Premium Reserve		1,50,000
(3) Cash and Cash Equivalent :		
Cash at Bank		5,49,700

Working Note : Pro - Rata Table adjustment:

	Shares	Amount	Alloted	Amount	Allotment	First Call	Refund
(a)	40,000	1,20,000	40,000	1,20,000	—	—	—
(b)	15,000	45,000	8,000	24,000	21,000	—	—
(c)	5,000	15,000	2,000	6,000	9,000	—	—

प्रश्न 8 सुमित मशीन लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 50,000 अंशों को 5% प्रीमियम पर निर्गमन किया। अंशों पर ₹ 25 आवेदन पर, ₹ 50 आबंटन पर, ₹ 30 प्रथम और अन्तिम माँग पर देय हैं। निर्गमन पर पूर्ण अभिदान प्राप्त हुआ और 400 अंशों पर अन्तिम माँग के अतिरिक्त सम्पूर्ण राशि प्राप्त की गई। प्रीमियम को आबंटन पर समायोजित किया जाएगा। रोजनामचा प्रविष्टियाँ और तुलन-पत्र तैयार करें। लेखाशास्त्र-कक्षा-12 (भाग 2)

उत्तर – Books of Sumit Machine Limited:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
			₹	₹
(1)	Bank A/c To Share Application A/c (Being Application money received)	Dr.	12,50,000	12,50,000
(2)	Share Application A/c To Share Capital A/c (Being application money transferred to Share Capital A/c)	Dr.	12,50,000	12,50,000
(3)	Share Allotment A/c To Share Capital A/c To Securities Premium Reserve A/c (Being Allotment money due)	Dr.	25,00,000	22,50,000 2,50,000
(4)	Bank A/c To Share Allotment A/c (Being allotment money received)	Dr.	25,00,000	25,00,000
(5)	Share First & Final Call A/c To Share Capital A/c (Being first & final call money due)	Dr.	15,00,000	15,00,000
(6)	Bank A/c Calls in Arrears A/c To Share First & Final Call A/c (Being first & final call money received except on 400 shares)	Dr. Dr.	14,88,000 12,000	15,00,000

Balance Sheet:

Particulars	Note No.	Current Year
I. EQUITY AND LIABILITIES :		₹
(1) Shareholders' Funds :		
(a) Share Capital	1	49,88,000
(b) Reserve & Surplus	2	2,50,000
		52,38,000
II. ASSETS :		
Current Assets :		
Cash and Cash Equivalents	3	52,38,000

Note of Accounts:

Particulars	Details	₹
(1) Share Capital :		
Issued Share Capital		50,00,000
50,000 Shares of ₹ 100 each		
Subscribed Capital but not fully paid up		
50,000 Shares of ₹ 100 each	50,00,000	
Less : Calls in Arrears (400 × 30)	(12,000)	49,88,000
(2) Reserve to Surplus		
Securities Premium Reserve		2,50,000
(3) Cash & Cash Equivalents		
Bank Balance		52,38,000

प्रश्न 9 कुमार लिमिटेड ने भानू आयल लिमिटेड से ₹ 6,30,000 की परिसम्पत्तियों का क्रय किया। कुमार लिमिटेड ने समझौते के अनुसार ₹ 100 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त अंशों का निर्गमन किया। कौनसी रोजनामचा प्रविष्टियाँ की जाएँगी यदि अंशों का निर्गमन (अ) सममूल्य पर; और (ब) 20% प्रीमियम पर हो।

उत्तर – Books of Kumar Limited Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
(a) (1)	Sundry Assets A/c To Bhanu Oil Ltd. (Being assets purchased)	Dr.	₹ 6,30,000	₹ 6,30,000

(2)	Bhanu Oil Ltd. To Share Capital A/c (Being 6,300 shares ($\frac{6,30,000}{100}$) issued at par to Bhanu Oil Ltd.)	Dr.	6,30,000	6,30,000
(b) (1)	Sundry Assets A/c To Bhanu Oil Ltd. (Being Assets purchased)	Dr.	6,30,000	6,30,000
(2)	Bhanu Oil Ltd. To Share Capital A/c To Securities Premium Reserve A/c (Being 5,250 ($\frac{6,30,000}{120}$) shares issued at 20% premium)	Dr.	6,30,000	5,25,000 1,05,000

प्रश्न 10 बंसल हैवी मशीन लिमिटेड ने हाण्डा ट्रेडर्स से ₹ 3,80,000 मूल्य की मशीन का क्रय किया। ₹ 50,000 का रोकड़ भुगतान किया गया और शेष राशि के लिए ₹ 100 प्रत्येक के अंशों का ₹ 110 निर्गम मूल्य पर किया गया। उपर्युक्त व्यवहारों की रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

उत्तर – Books of Bansal Heavy Machine Limited Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
(1)	Machinery A/c To Bank A/c To Handa Traders' A/c (Being machinery purchased)	Dr.	₹ 3,80,000	₹ 50,000 3,30,000
(2)	Handa Traders' A/c To Share Capital A/c To Securities Premium Reserve A/c (Being 3,000 shares ($\frac{3,30,000}{110}$) issued)	Dr.	3,30,000	3,00,000 30,000

प्रश्न 11 नमन लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 20,000 अंशों का निर्गमन किया। जिस पर ₹ 25 आवेदन पर, ₹ 30 आबंटन पर, ₹ 25 प्रथम माँग पर, और शेष अन्तिम माँग पर देय हैं। अनुभा, जिसके पास 200 अंश हैं, ने आबंटन राशि और माँग राशि का भुगतान नहीं किया और कुमकुम जिसके पास 100 अंश हैं, ने दोनों माँगों का भुगतान नहीं किया, के अतिरिक्त सम्पूर्ण राशि प्राप्त हुई। संचालकों ने अनुभा और कुमकुम के अंशों का हरण कर लिया। रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

उत्तर – Books of Naman Limited Journal

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
(1)	Bank A/c Dr. To Share Application A/c (Being application money received)		₹ 5,00,000	₹ 5,00,000
(2)	Share Application A/c Dr. To Share Capital A/c (Being application money transferred)		5,00,000	5,00,000
(3)	Share Allotment A/c Dr. To Share Capital A/c (Being allotment money due)		6,00,000	6,00,000
(4)	Bank A/c Dr. Calls in Arrears A/c Dr. To Share Allotment A/c (Being allotment money received except on 200 shares)		5,94,000 6,000	6,00,000
(5)	Share First Call A/c Dr. To Share Capital A/c (Being first call money due)		5,00,000	5,00,000
(6)	Bank A/c Dr. Calls in Arrears A/c Dr. To Share First Call A/c (Being first call money received except on 300 shares)		4,92,500 7,500	5,00,000
(7)	Share Final Call A/c Dr. To Share Capital A/c (Being final call money due)		4,00,000	4,00,000
(8)	Bank A/c Dr. Calls in Arrears A/c Dr. To Share Final Call A/c (Being money received & arrears mode)		3,94,000 6,000	4,00,000
(9)	Share Capital A/c Dr. To Calls in Arrears A/c To Share Forfeiture A/c [(200 × 25) + (100 × 55)] (Being Anubha's & Kumkum's shares forfeited for non-payment)		30,000	19,500 10,500

प्रश्न 12 कृष्णा लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 15,000 अंशों का ₹ 10 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन किया जो इस प्रकार देय हैं।

आवेदन पर	₹ 3 प्रति अंश
----------	---------------

आबंटन पर (प्रीमियम सहित)	₹ 5 प्रति अंश
प्रथम माँग पर (आबंटन के तीन महीने बाद देय)	₹ 3 प्रति अंश

अभिदान प्राप्त हुआ और कम्पनी ने सभी देय राशि 150 अंशों पर आबंटन और माँग राशि के अतिरिक्त प्राप्त की, इन अंशों का हरण किया गया और नेहा को ₹ 120 प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त अंशों में पुनः निर्गमन कर दिया। पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

उत्तर – Books of Krishna Limited Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
			₹	₹
(1)	Bank A/c To Share Application A/c (Being application money received for 15,000 shares @ ₹ 30 per share)	Dr.	4,50,000	4,50,000
(2)	Share Application A/c To Share Capital A/c (Being application money transferred)	Dr.	4,50,000	4,50,000
(3)	Share Allotment A/c To Share Capital A/c To Securities Premium Reserve A/c (Being allotment money due)	Dr.	7,50,000	6,00,000 1,50,000
(4)	Bank A/c To Share Allotment A/c (Being allotment money received except on 150 shares)	Dr.	7,42,000	7,42,000
(5)	Share First & Final Call A/c To Share Capital A/c (Being first & final call money due)	Dr.	4,50,000	4,50,000
(6)	Bank A/c To Share First & Final Call A/c (Being first and final call money received except on 150 shares)	Dr.	4,45,000	4,45,000
(7)	Share Capital A/c Securities Premium Reserve A/c To Share Allotment A/c (150 × 50) To Share First and Final Call A/c (150 × 30) To Share Forfeiture A/c (150 × 30) (Being 150 shares forfeited for non-payment)	Dr. Dr.	15,000 1,500	7,500 4,500 4,500

(8)	Bank A/c To Share Capital A/c To Securities Premium Reserve A/c (Being 150 shares reissued @ ₹ 120 each)	Dr.	18,000	15,000 3,000
(9)	Share Forfeiture A/c To Capital Reserve A/c (Being share forfeiture amount transferred to Capital Reserve Account)	Dr.	4,500	4,500

प्रश्न 13 'आरूषी कम्प्यूटर लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 10,000 समता अंशों का 10% प्रीमियम पर निर्गमन किया जिन पर निवल राशि इस प्रकार देय है:

आवेदन पर	₹ 20 प्रति अंश
आबंटन पर (प्रीमियम सहित)	₹ 22 प्रति अंश
प्रथम माँग पर (आबंटन के तीन महीने बाद देय)	₹ 21 प्रति अंश

एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश हैं, ने अन्तिम माँग का भुगतान नहीं किया। इसके अंशों का हरण कर लिया गया। इन अंशों में से 150 अंशों को सोनिया को ₹ 75 प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किया गया। कम्पनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

उत्तर – Books of Arushi Computers Limited Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
(1)	Bank A/c To Equity Share Application A/c (Being application money received)	Dr.	₹ 2,00,000	₹ 2,00,000
(2)	Equity Share Application A/c To Equity Share Capital A/c (Being application money transferred to Share Capital A/c)	Dr.	2,00,000	2,00,000
(3)	Equity Share Allotment A/c To Equity Share Capital A/c To Securities Premium Reserve A/c (Being allotment money due including premium)	Dr.	5,00,000	4,00,000 1,00,000
(4)	Bank A/c To Equity Share Allotment A/c (Being allotment money received)	Dr.	5,00,000	5,00,000
(5)	Equity Share First Call A/c To Equity Share Capital A/c (Being first call money due)	Dr.	3,00,000	3,00,000

(6)	Bank A/c To Equity Share First Call A/c (Being first call money received)	Dr.	3,00,000	3,00,000
(7)	Equity Share Final Call A/c To Equity Share Capital A/c (Being final call money due)	Dr.	1,00,000	1,00,000
(8)	Bank A/c To Equity Share Final Call A/c (Being final call money received except on 200 shares)	Dr.	98,000	98,000
(9)	Equity Share Capital A/c To Equity Share Final Call A/c To Share Forfeiture A/c (Being 200 shares forfeited)	Dr.	20,000	2,000 18,000
(10)	Bank A/c Share Forfeiture A/c To Equity Share Capital A/c (Being forfeited shares reissued @ ₹ 75 each)	Dr. Dr.	11,250 3,750	15,000
(11)	Share Forfeiture A/c To Capital Reserve A/c (Being forfeiture amount for 150 reissued shares transferred to Capital Reserve Account)	Dr.	9,750	9,750

Calculation of share forfeiture amount transferred to Capital Reserve Account:

Share forfeiture amount for 200 shares = ₹ 18,000

Share forfeiture amount for 150 shares = $\frac{150 \times 18,000}{200} = ₹ 13,500$

Amount used in reissue = ₹ 3,750

Transferred to Capital Reserve = 13,500 - 3,750

= ₹ 9,750

प्रश्न 14 रौनक कॉटन लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 6,000 समता अंशों के ₹ 20 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन के लिए विवरण पत्रिका से जारी करके आवेदन माँगे। जो निम्न प्रकार देय हैं 10,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और 8,000 अंशों के आवेदकों को यथानुपात आबंटन किया गया

तथा शेष आवेदकों को वापस कर दिया गया और आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि को आबंटन पर देय राशि में समायोजित किया जाएगा।

रोहित जिसको 300 अंशों का आबंटन किया गया था, आबंटन और माँग राशि का भुगतान करने में असफल रहा और उनके अंशों का हरण कर लिया गया। ईतिका जिसने 600 अंशों के लिए आवेदन किया था, माँगराशियों का भुगतान करने में असफल रही उसके अंशों का भी हरण कर लिया गया। इन सभी अंशों का कार्तिक को ₹ 80 पूर्ण प्रदत्त में विक्रय किया गया।

कम्पनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

उत्तर – Books of Raunak Cotton Limited Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
			₹	₹
(1)	Bank A/c To Equity Share Application A/c (Being application money received on 10,000 shares)	Dr.	2,00,000	2,00,000
(2)	Equity Share Application A/c To Equity Share Capital A/c To Equity Share Allotment A/c To Bank A/c (Being application money adjusted)	Dr.	2,00,000	1,20,000 40,000 40,000
(3)	Equity Share Allotment A/c To Equity Share Capital A/c To Securities Premium Reserve A/c (Being allotment money due including premium)	Dr.	3,00,000	1,80,000 1,20,000
(4)	Bank A/c Calls in Arrears A/c To Equity Share Allotment A/c (Being allotment money received & arrears recorded)	Dr. Dr.	2,47,000 13,000	2,60,000
(5)	Equity Share First Call A/c To Equity Share Capital A/c (Being first call money due)	Dr.	1,80,000	1,80,000
(6)	Bank A/c Calls in Arrears A/c To Equity Share First Call A/c (Being first call money received and arrears recorded)	Dr. Dr.	1,57,500 22,500	1,80,000
(7)	Equity Share Final Call A/c To Equity Share Capital A/c (Being final call money due)	Dr.	1,20,000	1,20,000

(8)	Bank A/c	Dr.	1,05,000	
	Calls in Arrears A/c	Dr.	15,000	
	To Equity Share Final Call A/c			1,20,000
	(Being final call money received except on 750 shares)			
(9)	Equity Share Capital A/c	Dr.	75,000	
	Securities Premium Reserve A/c (300 × 20)	Dr.	6,000	
	To Calls in Arrears A/c			50,500
	To Share Forfeiture A/c			30,500
	(Being 750 shares forfeited)			
(10)	Bank A/c	Dr.	60,000	
	Share Forfeiture A/c	Dr.	15,000	
	To Equity Share Capital A/c			75,000
	(Being forfeited shares reissued @ ₹ 80 each)			
(11)	Share Forfeiture A/c	Dr.	15,500	
	To Capital Reserve A/c			15,500
	(Being gain on reissued transferred to Capital Reserve A/c)			

Calculation of Rohit's Advance on Allotment :

Advance for 6,000 shares = ₹ 40,000

Advance for 300 shares = $\frac{300 \times 40,000}{6,000} = ₹ 2,000$

Calculation of Alloted Shares of Itika:

8,000 Applied gets 6,000 allotted

600 applied will get = $\frac{600 \times 6,000}{8,000} = 450$ Shares

प्रश्न 15 हिमालय कम्पनी लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 1,20,000 समता अंश ₹ 2 प्रीमियम पर जनता में अभिदान के लिए निर्गमित किए जो निम्न प्रकार देय हैं। 1,60,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। यथानुपात आधार पर आबंटन किया गया। आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि को आबंटन पर देय राशि में समायोजित किया गया।

रोहन जिसको 4,800 अंशों का आबंटन किया गया था, दोनों माँग राशि देने में असफल रहा। इन अंशों को द्वितीय माँग राशि के बाद हरण कर लिया गया। सभी हरण किए गए अंशों को रीना को

₹ 7 प्रति अंश में पुनः निर्गमन किया गया। कम्पनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें और अंशपूँजी से सम्बन्धित व्यवहारों को कम्पनी के तुलनपत्र में दर्शाएँ।

उत्तर – Books of Himalaya Company Limited Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
			₹	₹
(1)	Bank A/c Dr. To Equity Share Application A/c (Being application money received for 1,60,000 shares)		4,80,000	4,80,000
(2)	Equity Share Application A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Equity Share Allotment A/c (Being application amount adjusted)		4,80,000	3,60,000 1,20,000
(3)	Equity Share Allotment A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Securities Premium Reserve A/c (Being allotment money due including premium)		6,00,000	3,60,000 2,40,000
(4)	Bank A/c Dr. To Equity Share Allotment A/c (Being allotment money received)		4,80,000	4,80,000
(5)	Equity Share First Call A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being first call money due)		2,40,000	2,40,000
(6)	Bank A/c Dr. To Equity Share First Call A/c (Being first call money received except on 4,800 shares)		2,30,400	2,30,400
(7)	Equity Share Final Call A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being final call money due)		2,40,000	2,40,000
(8)	Bank A/c Dr. To Equity Share Final Call A/c (Being final call money received except on 4,800 shares)		2,30,400	2,30,400
(9)	Equity Share Capital A/c Dr. To Share First Call A/c (4,800 × 2) To Share Final Call A/c (4,800 × 2) To Share Forfeiture A/c (Being 4,800 shares forfeited)		48,000	9,600 9,600 28,800
(10)	Bank A/c Dr. Share Forfeiture A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being forfeited shares reissued)		33,600 14,400	48,000
(11)	Share Forfeiture A/c Dr. To Capital Reserve A/c (Being gain on forfeited shares transferred to Capital Reserve A/c)		14,400	14,400

Balance Sheet:

Particulars	Note No.	₹
I. EQUITY AND LIABILITIES :		
(1) Shareholders' Funds :		
(a) Share Capital	1	12,00,000
(b) Reserve & Surplus	2	2,54,400
		14,54,400
II. ASSETS :		
Current Assets :		
Cash and Cash Equivalents	3	14,54,400
		14,54,400

Notes to Accounts:

Particulars	Details	₹
(1) Share Capital :		
Issued, subscribed & paid up 1,20,000 equity shares of ₹ 10 each		12,00,000
(2) Reserve & Surplus :		
Securities Premium Reserve	2,40,000	
Capital Reserve	14,400	2,54,400
(3) Cash and Cash Equivalent :		
Cash at Bank		14,54,400

प्रश्न 16 प्रिंस लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक अंश के 20,000 समता अंशों को ₹ 3 प्रीमियम पर निर्गमन करने के लिए विवरण-पत्र पर आमंत्रित किया जो निम्न प्रकार देय हैं।

आवेदन पर	₹ 2.50 प्रति अंश
अंश आबंटन पर	₹ 2.50 प्रति अंश
प्रथम और अन्तिम माँग पर	₹ 2.50 प्रति अंश

30,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और आबंटन आनुपातिक आधार पर किया गया। आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि को आबंटन पर देय राशि में समायोजित किया जाएगा। श्री मोहित जिनको 400 अंश आबंटित किए गए थे, आबंटन और प्रथम माँग राशि का भुगतान करने में असफल रहे

और प्रथम माँग के पश्चात् उनके अंशों का हरण कर लिया गया। श्री जौली जिनको 600 अंशों का आबंटन हुआ था, दोनों माँग राशि का भुगतान करने में असफल रहे अतः इनके अंशों का हरण कर लिया गया। हरण किए गए अंशों में से 800 अंशों का पुनः निर्गमन सुप्रिया को ₹ 9 प्रति अंश पूर्ण भुगतान में किया गया, जिसमें श्री मोहित के सभी अंश सम्मिलित हैं। कम्पनी की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें और तुलन-पत्र तैयार करें।

उत्तर – Books of Prince Limited Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
—	Bank A/c To Equity Share Application A/c (Being application money received for 30,000 shares)	Dr.	₹ 60,000	₹ 60,000
—	Equity Share Application A/c To Equity Share Capital A/c To Equity Share Allotment A/c (Being application money adjusted)	Dr.	60,000	40,000 20,000
—	Equity Share Allotment A/c To Equity Share Capital A/c To Securities Premium Reserve A/c (Being allotment money due including premium)	Dr.	1,00,000	40,000 60,000
—	Bank A/c To Equity Share Allotment A/c (Being allotment money received except on 400 shares)	Dr.	78,400	78,400
—	Equity Share First Call A/c To Equity Share Capital A/c (Being first call money due)	Dr.	60,000	60,000
—	Bank A/c To Equity Share First Call A/c (Being first call money received except on 1,000 shares)	Dr.	57,000	57,000
—	Equity Share Capital A/c Securities Premium Reserve A/c To Equity Share Allotment A/c To Equity Share First Call A/c To Share Forfeiture A/c (Being 400 shares forfeited)	Dr. Dr.	2,800 1,200	1,600 1,200 1,200
—	Equity Share Second Call A/c To Equity Share Capital A/c	Dr.	58,800	58,800

(Being second call money due)			
—	Bank A/c Dr.	57,000	
	To Equity Share Second Call A/c		57,000
(Being second call money received on 19,000 shares)			
—	Equity Share Capital A/c Dr.	6,000	
	To Equity Share First Call A/c		1,800
	To Equity Share Second Call A/c		1,800
	To Share Forfeiture A/c		2,400
(Being 600 shares forfeited)			
—	Bank A/c Dr.	7,200	
	Share Forfeiture A/c Dr.	800	
	To Equity Share Capital A/c		8,000
(Being 800 forfeited shares re-issued @ ₹ 9 each)			
—	Share Forfeiture A/c Dr.	2,000	
	To Capital Reserve A/c		2,000
(Being gain on 800 forfeited shares transferred to Capital Reserve A/c)			

Balance Sheet:

Particulars	Note No.	Current Year
I. EQUITY AND LIABILITIES :		₹
(1) Shareholders' Funds :		
(a) Share Capital	1	1,98,800
(b) Reserve & Surplus	2	60,800
		2,59,600
II. ASSETS :		
Current Assets :		
Cash and Cash Equivalents	3	2,59,600

Notes to Accounts :

Particulars	Details	₹
(1) Share Capital :		
Authorised Capital :		
..... Shares of ₹ each	
Issued Capital :		
20,000 Equity Shares of ₹ 10 each		2,00,000
Subscribed & Fully paid Capital :		
19,800 Equity Shares of ₹ 10 each	1,98,000	
Add : Share Forfeiture Account	800	1,98,800
(2) Reserve & Surplus :		
Capital Reserve	2,000	
Securities Premium Reserve	58,800	60,800
(3) Cash and Cash Equivalents :		
Cash at Bank		2,59,600

Working Notes :

(1) Calculation of Mohit's Advance on Allotment:

Advance on 20,000 Shares = ₹20,000

∴ Advance on 400 shares

(2) Calculation of Share Forfeiture to be Transferred:

Forfeiture amount related to 800 reissue shares = 1,200 + $\left(\frac{400 \times 2,400}{600} \right)$

= 2,800

Used in reissue = ₹800

∴ transferred to Capital Reserve

= 2,800 - 800

= ₹2,000

प्रश्न 17 लाईफ मशीन टूल्स लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 50,000 समता अंशों को ₹ 12 प्रति अंश पर निर्गमन किया। आवेदन पर ₹ 5 (प्रीमियम सहित), आबंटन पर ₹ 4 और शेष प्रथम और अन्तिम माँग पर देय हैं। 70,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त रोकड़ में से ₹ 40,000 वापिस किए गए और ₹ 60,000 को आबंटन पर देय राशि में समायोजित किया गया। 500 अंशों के एक अंशधारक को छोड़कर सभी अंशधारकों ने माँग राशि का भुगतान किया। इन अंशों का हरण कर लिया गया और ₹ 8 प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त पर निर्गमन किया। व्यवहारों की रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

उत्तर – Books of Life Machine Tools Limited Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
			₹	₹
(1)	Bank A/c Dr. To Equity Share Application A/c (Being application money for 70,000 shares received)		3,50,000	3,50,000
(2)	Equity Share Application A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Securities Premium Reserve A/c To Bank A/c To Equity Share Allotment A/c (Being application money adjusted)		3,50,000	1,50,000 1,00,000 40,000 60,000
(3)	Equity Share Allotment A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being allotment money due)		2,00,000	2,00,000
(4)	Bank A/c Dr. To Equity Share Allotment A/c (Being allotment money received)		1,40,000	1,40,000
(5)	Equity Share First & Final Call A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being first and final call money due)		1,50,000	1,50,000
(6)	Bank A/c Dr. To Equity Share First & Final Call A/c (Being money received except on 500 shares)		1,48,500	1,48,500
(7)	Equity Share Capital A/c Dr. To Equity Share First and Final Call A/c To Share Forfeiture A/c (Being 500 shares forfeited)		5,000	1,500 3,500
(8)	Bank A/c Dr. Share Forfeiture A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being forfeited shares reissued @ ₹ 8 each)		4,000 1,000	5,000
(9)	Share Forfeiture A/c Dr. To Capital Reserve A/c (Being gain on reissue of forfeited shares transferred to Capital Reserve A/c)		2,500	2,500

प्रश्न 18 ओरिएंट कम्पनी लिमिटेड ने जनता में अभिदान के लिए ₹ 10 प्रत्येक अंश के 20,000 समता अंशों को 10 % प्रीमियम पर निर्गमन किया जिन पर आवेदन पर ₹ 2 , आबंटन पर प्रीमियम सहित ₹ 4 , प्रथम माँग पर ₹ 3 और द्वितीय और अन्तिम माँग पर ₹ देय हैं। 26,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए 14,000 अंशों के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। शेष

आवेदकों को आनुपातिक आबंटन किया गया। दोनों माँगों की माँग की गई और 500 अंशों पर अन्तिम माँग को छोड़कर सभी माँग राशि प्राप्त की गई। इन अंशों का हरण कर लिया गया। हरण किए गए में से 300 अंशों को ₹ 9 प्रति अंश पर पुनः निर्गमन किया गया।

रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें और तुलन-पत्र तैयार करें।

उत्तर – Books of Orient Company Limited

Journal

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
			₹	₹
(1)	Bank A/c Dr. To Equity Share Application A/c (Being application money received for 26,000 shares)		52,000	52,000
(2)	Equity Share Application A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Equity Share Allotment A/c To Bank A/c (Being application money adjusted)		52,000	40,000 4,000 8,000
(3)	Equity Share Allotment A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Securities Premium Reserve A/c (Being allotment money due including premium)		80,000	60,000 20,000
(4)	Bank A/c Dr. To Equity Share Allotment A/c (Being allotment money received)		76,000	76,000
(5)	Equity Share First Call A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being first call money due)		60,000	60,000
(6)	Bank A/c Dr. To Equity Share First Call A/c (Being first call money received)		60,000	60,000
(7)	Equity Share Second and Final Call A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being second and final call money due)		40,000	40,000
(8)	Bank A/c Dr. To Equity Share Second and Final Call A/c (Being money received except on 500 shares)		39,000	39,000
(9)	Equity Share Capital A/c Dr. To Equity Share Second and Final Call A/c To Share Forfeiture A/c (Being 500 shares forfeited)		5,000	1,000 4,000
(10)	Bank A/c Dr. Share Forfeiture A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being forfeited shares reissued @ ₹ 9 per share)		2,700 300	3,000
(11)	Share Forfeiture A/c Dr. To Capital Reserve A/c (Being gain on reissue of forfeited shares transferred)		2,100	2,100

Balance Sheet:

Particulars	Note No.	₹
I. EQUITY AND LIABILITIES :		
(1) Shareholders' Funds :		
(a) Share Capital	1	1,99,600
(b) Reserves & Surplus	2	22,100
		2,21,700
II. ASSETS :		
Current Assets :		
Cash and Cash Equivalents	3	2,21,700
		2,21,700

Note to Accounts:

Particulars	Details	₹
(1) Share Capital :		
Issued, Subscribed and paid-up Equity Share Capital		
19,800 Equity Shares @ ₹ 10 each fully paid	1,98,000	
Add : Share Forfeiture	1,600	1,99,600
(2) Reserve & Surplus :		
Securities Premium Reserve	20,000	
Capital Reserve	2,100	22,100
(3) Cash and Cash Equivalents :		
Cash at Bank		2,21,700

Working Note :

Calculation of Share Forfeiture to be Transferred :

$$\text{Share forfeiture related to 300 shares} = \frac{300 \times 4,000}{500}$$

$$= ₹ 2,400$$

$$\therefore \text{Transferred to Capital Reserve} = 2,400 - 300$$

$$= ₹ 2,100$$

प्रश्न 19 अल्फा लिमिटेड ने ₹ 10 प्रत्येक के 4,00,000 समता अंशों के लिए निम्न शर्तों पर आवेदन आमंत्रित किए:

आवेदन पर देय ₹ 5 प्रति अंश

प्रथम और अन्तिम माँग पर देय ₹ 3 प्रति अंश

5,00,000 -अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए । यह निर्णय लिया गया

(अ) 20,000 अंशों के आवेदकों को आबंटन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ब) 80,000 अंशों के आवेदकों को पूर्ण आबंटन किया जाएगा।

(स) शेष बचे अंशों को अन्य आवेदकों के बीच आनुपातिक आधार पर आबंटन किया जाएगा।

(द) अधिक आवेदन राशि को आबंटन राशि के भुगतान में उपयोग किया जाएगा।

एक आवेदक जिसको आनुपातिक आधार पर आबंटन किया गया जिसने आबंटन और माँग राशि का भुगतान

नहीं किया और उसके 400 अंशों का हरण कर लिया गया। इन अंशों का पुनः निर्गमन ₹ 9 प्रति अंश पर किया गया।

रोजनामचा प्रविष्टियों को दर्शाएँ और उपरोक्त का अभिलेखन करने के लिए रोकड़ पुस्तक तैयार करें।

उत्तर – quad Books of Alfa Limited

Journal

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
(1)	Equity Share Application A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Equity Share Allotment A/c (Being application money adjusted)		₹ 24,00,000	₹ 20,00,000 4,00,000
(2)	Equity Share Allotment A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being allotment money due)		12,00,000	12,00,000
(3)	Equity Share First and Final Call A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being first and final call money due)		8,00,000	8,00,000

(4)	Equity Share Capital A/c To Equity Share Allotment A/c To Equity Share First and Final Call A/c To Share Forfeiture A/c (Being 400 shares forfeited)	Dr.	4,000	700 800 2,500
(5)	Share Forfeiture A/c To Equity Share Capital A/c (Being forfeited shares reissued and loss on reissue)	Dr.	400	400
(6)	Share Forfeiture A/c To Capital Reserve A/c (Being gain on reissue of forfeited shares transferred to Capital Reserve A/c)	Dr.	2,100	2,100

	Shares	Amount	Alloted	Amount	Allotment	First & Final Call	Refund
(a)	20,000	1,00,000	—	—	—	—	1,00,000
(b)	80,000	4,00,000	80,000	4,00,000	—	—	—
(c)	4,00,000	20,00,000	3,20,000	16,00,000	4,00,000	—	—

Dr.		Cash Book (Bank Column only)				Cr.	
Date	Particulars	Amount ₹	Date	Particulars	Amount ₹		Amount ₹
	To Equity Share Application A/c	25,00,000		By Equity Share Application A/c (20,000 × 5)	1,00,000		
	To Equity Share Allotment A/c	7,99,300		By Balance c/d	40,02,100		
	To Equity Share First and Final Call A/c	7,99,200					
	To Equity Share Capital A/c (400 × 9)	3,600					
		41,02,100					41,02,100

Calculation of Advance on 400 Shares :

Advance on 3,20,000 shares = ₹ 4,00,000

$$\text{Advance on 400 shares} = \frac{400 \times 4,00,000}{3,20,000} = ₹ 500$$

प्रश्न 20 अशोका लिमिटेड कम्पनी ने ₹ 20 प्रत्येक के समता अंशों को ₹ 2 प्रीमियम पर निर्गमित किया जिसमें से 1,000 अंशों का हरण ₹ 4 अन्तिम माँग के भुगतान न करने पर किया। हरण किए

गए 400 अंशों को ₹ 14 प्रति अंश पर पुनः निर्गमित किया गया। शेष अंशों में से 200 अंशों को ₹ 20 प्रति अंश पर निर्गमित किया गया। अंशों के हरण और पुनः निर्गमन की रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें और पूँजी आरक्षित में हस्तान्तरित की गई राशि और अंश हरण खाते में शेष राशि को दर्शाएँ।

उत्तर - Books of Ashoka Limited

Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
(1)	Equity Share Capital A/c To Final Call A/c To Share Forfeiture A/c (Being 1,000 shares forfeited).	Dr.	₹ 20,000	₹ 4,000 16,000
(2)	Bank A/c Share Forfeiture A/c To Equity Share Capital A/c (Being 400 shares reissued @ ₹ 14 per share)	Dr. Dr.	5,600 2,400	8,000
(3)	Bank A/c To Equity Share Capital A/c (Being 200 shares reissued @ ₹ 20 per share)	Dr.	4,000	4,000
(4)	Share Forfeiture A/c To Capital Reserve A/c (Being gain on reissue of forfeited shares transferred)	Dr.	7,200	7,200

Calculation of gain on reissue of shares forfeited transferred :

Share forfeiture on 1,000 shares = ₹ 16,000

$$\therefore \text{Share forfeiture on 400 shares} = \frac{400 \times 16,000}{1,000} = ₹ 6,400$$

\therefore Transferred to capital reserve for 400 shares = 6,400 - 2,400

= ₹ 4,000

For 200 shares (200 × 16) = ₹ 3,200

Total = 4,000 + 3,200 = ₹ 7,200

Dr.				Share Forfeiture Account				Cr.	
Date	Particulars	Amount ₹	Date	Particulars	Amount ₹				
	To Equity Share Capital A/c	2,400		By Equity Share Capital A/c	16,000				
	To Capital Reserve A/c	7,200							
	To Balance c/d (Bal. Fig.)	6,400							
		16,000			16,000				

प्रश्न 21 अमित के पास ₹ 10 प्रत्येक के 100 अंश हैं जिस पर उसने ₹ 1 प्रति अंश आवेदन राशि का भुगतान किया है। विमल के पास ₹ 10 प्रत्येक के 200 अंश हैं जिस पर उसने ₹ 1 और ₹ 2 प्रति अंश क्रमशः आवेदन और आबंटन राशि का भुगतान किया हुआ है। चेतन के पास ₹ 10 प्रत्येक के 300 अंश हैं जिस पर उसने ₹ 1 आवेदन पर, ₹ 2 आबंटन पर, ₹ 3 प्रथम माँग पर भुगतान किया है। ये सभी बकाया राशि और द्वितीय माँग ₹ 2 का भुगतान करने में असफल रहे। निदेशकों ने इनके अंशों का हरण कर लिया। इन अंशों का पुनः निर्गमन ₹ 11 प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त में किया गया। व्यवहारों की रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

उत्तर -

Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit ₹	Credit ₹
(1)	Share Capital A/c Dr. To Share Allotment A/c (100 × 2) To Share First Call A/c (300 × 3) To Share Second Call A/c (600 × 2) To Share Forfeiture A/c (Being 600 shares forfeited)		4,800	200 900 1,200 2,500
(2)	Bank A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Securities Premium Reserve A/c (Being forfeited shares reissued at premium)		6,600	6,000 600
(3)	Share Forfeiture A/c Dr. To Capital Reserve A/c (Being forfeiture amount transferred)		2,500	2,500

Working Note :

Calculation of Share Forfeiture Amount :

$$= (100 \times 1) + (200 \times 3) + (300 \times 6) = ₹ 2,500$$

प्रश्न 22 अजन्ता लिमिटेड की सामान्य पूँजी ₹ 3,00,000 है जो ₹ 10 प्रत्येक के अंशों में विभाजित है। जनता को 20,000 अंशों के अभिदान के लिए आमंत्रित करती है, जो आवेदन पर ₹ 2, आबंटन पर ₹ 3 और शेष ₹ 2.50 की दो माँगों पर देय हैं। कम्पनी को 24,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 20,000 अंशों के आवेदनों को पूर्ण स्वीकार किया गया और अंश आबंटित किए गए। शेष अंशों के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया और आवेदन राशि वापस कर दी गई। 600 अंशों पर अन्तिम माँग छोड़कर सभी देय राशि प्राप्त कर ली गई जो कि कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् हरण कर लिए गए। हरण किए गए अंशों में से 400 अंशों को ₹ 9 प्रति अंश पर पुनः निर्गमित कर दिया गया।

आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियों का प्रलेखन करें और पूँजी आरक्षित में हस्तान्तरित राशि और अंश हरण खाते का शेष दर्शाते हुए तुलन-पत्र तैयार करें।

उत्तर- Books of Ajanta Company Limited

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
(1)	Bank A/c Dr. To Equity Share Application A/c (Being application money received for 24,000 shares)		₹ 48,000	₹ 48,000
(2)	Equity Share Application A/c Dr. To Equity Share Capital A/c To Bank A/c (Being application money transferred and excess money refunded)		48,000	40,000 8,000
(3)	Equity Share Allotment A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being allotment money due)		60,000	60,000
(4)	Bank A/c Dr. To Equity Share Allotment A/c (Being allotment money received)		60,000	60,000
(5)	Equity Share First Call A/c Dr. To Equity Share Capital A/c (Being first call money due)		50,000	50,000

(6)	Bank A/c To Equity Share First Call A/c (Being first call money received)	Dr.	50,000	50,000
(7)	Equity Share Final Call A/c To Equity Share Capital A/c (Being final call money due)	Dr.	50,000	50,000
(8)	Bank A/c To Equity Share Final Call A/c (Being final call money received except on 600 shares)	Dr.	48,500	48,500
(9)	Equity Share Capital A/c To Equity Share Final Call A/c To Share Forfeiture A/c (Being 600 shares forfeited)	Dr.	6,000	1,500 4,500
(10)	Bank A/c Share Forfeiture A/c To Equity Share Capital A/c (Being forfeited shares reissued)	Dr. Dr.	3,600 400	4,000
(11)	Share Forfeiture A/c To Capital Reserve A/c (Being gain on reissue of forfeited shares transferred)	Dr.	2,600	2,600

Balance Sheet

Particulars	Note No.	₹
I. EQUITY AND LIABILITIES :		
(1) Shareholders' Funds :		
(a) Share Capital	1	1,99,500
(b) Reserves & Surplus	2	2,600
		2,02,100
II. ASSETS :		
Current Assets :		
Cash and Cash Equivalents	3	2,02,100
		2,02,100

Notes to Accounts :

Particulars	Details	₹
(1) Share Capital :		
Authorised Share Capital :		
30,000 Equity Shares of ₹ 10 each		3,00,000
Issued Share Capital :		
20,000 Equity Shares of ₹ 10 each		2,00,000
Subscribed, Called up and Paid up Share Capital :		
19,800 Equity Shares of ₹ 10 each	1,98,000	
Add : Share Forfeiture	1,500	1,99,500
(2) Reserves & Surplus :		
Capital Reserve		2,600
(3) Cash and Cash Equivalents :		
Cash at Bank		2,02,100

Dr.				Share Forfeiture Account				Cr.			
Date	Particulars	Amount ₹		Date	Particulars	Amount ₹				Amount ₹	
	To Equity Share Capital A/c	400			By Equity Share Capital A/c	4,500					
	To Capital Reserve A/c	2,600									
	To Balance c/d (Bal. Fig)	1,500									
		4,500								4,500	

प्रश्न 23 निम्न व्यवहारों की रोजनामचा प्रविष्टियाँ भूषण आयल लिमिटेड की पुस्तकों में करें:

(अ) ₹ 100 प्रत्येक के 200 अंशों का ₹ 10 प्रीमियम पर निर्गमन किया गया। इनका हरण ₹ 60 प्रति अंश आबंटन राशि का भुगतान न करने पर किया गया। प्रथम और अन्तिम माँग राशि ₹ 20 प्रति अंश की माँग इन अंशों पर नहीं की गई। हरण किए गए अंशों को ₹ 70 प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त में निर्गमित किया गया।

(ब) ₹ 10 प्रत्येक के 150 अंशों को ₹ 4 प्रीमियम जो कि आबंटन पर देय हैं, का हरण आबंटन राशि ₹ 8 प्रति अंश प्रीमियम सहित का भुगतान न होने पर किया गया। प्रथम और अन्तिम माँग राशि ₹ 4 प्रति अंश अभी माँगी नहीं गई हैं। हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन ₹ 15 प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त में किया गया।

(स) ₹ 50 प्रत्येक सममूल्य पर निर्गमित किए गए 400 अंशों का हरण ₹ 10 प्रति अंश अन्तिम माँग का भुगतान न करने पर किया गया। इन अंशों का पुनः निर्गमन ₹ 45 प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त में किया गया।

उत्तर- (अ)

Books of Bhushan Oil Limited Journal:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
			₹	₹
(1)	Share Capital A/c Dr. Securities Premium Reserve A/c Dr. To Share Allotment A/c To Share Forfeiture A/c (Being 200 shares forfeited)		16,000 2,000	12,000 6,000
(2)	Bank A/c Dr. Share Forfeiture A/c Dr. To Share Capital A/c (Being forfeited shares reissued)		14,000 6,000	20,000

(ब)

Journal

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
			₹	₹
(1)	Share Capital A/c (150 × 6) Dr. Securities Premium Reserve A/c (150 × 4) Dr. To Share Allotment A/c To Share Forfeiture A/c (Being 150 shares forfeited)		900 600	1,200 300
(2)	Bank A/c Dr. To Share Capital A/c To Securities Premium Reserve A/c (Being forfeited shares reissued at premium)		2,250	1,500 750
(3)	Share Forfeiture A/c Dr. To Capital Reserve A/c (Being forfeited amount transferred)		300	300

(स)

Journal

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
(1)	Share Capital A/c To Share Final Call A/c To Share Forfeiture A/c (Being 400 shares forfeited)	Dr.	₹ 20,000	₹ 4,000 16,000
(2)	Bank A/c Share Forfeiture A/c To Share Capital A/c (Being forfeited shares reissued)	Dr. Dr.	18,000 2,000	20,000
(3)	Share Forfeiture A/c To Capital Reserve A/c (Being forfeited account transferred to Capital Reserve)	Dr.	14,000	14,000

प्रश्न 24 अमीशा लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 40 ; 000 अंशों को ₹ 20 प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जिस पर ₹ 40 आवेदन पर; ₹ 40 आबंटन पर (प्रीमियम सहित); ₹ 25 प्रथम माँग पर; ₹ 15 द्वितीय और अन्तिम माँग पर देय हैं। 50,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और आनुपातिक आधार पर आबंटन किया गया। अधिक आवेदन राशि को आबंटन पर देय राशि में समायोजित किया जाएगा। रोहित जिसको 600 अंशों का आबंटन किया गया था आबंटन राशि का भुगतान करने में असफल रहे। इनके अंशों का आबंटन के पश्चात् हरण कर लिया गया। अस्मिता, जिसने 1,000 अंशों के लिए आवेदन किया था दोनों माँगों का भुगतान करने में असफल रही। इनके अंशों का हरण द्वितीय माँग के पश्चात् किया गया। हरण किए गए अंशों में से 1,200 अंशों का विक्रय कपिल को ₹ 85 प्रति अंश पूर्ण भुगतान प्राप्त में किया गया। जिसमें रोहित के सभी अंश सम्मिलित हैं।

आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

उत्तर- Books of Amisha Limited:

Date	Particulars	L. F.	Amount	
			Debit	Credit
(1)	Bank A/c To Share Application A/c (Being application money received for 50,000 shares)	Dr.	₹ 20,00,000	₹ 20,00,000

(2)	Share Application A/c To Share Capital A/c To Share Allotment A/c (Being application money adjusted)	Dr.	20,00,000	16,00,000 4,00,000
(3)	Share Allotment A/c To Share Capital A/c To Securities Premium Reserve A/c (Being allotment money due)	Dr.	16,00,000	8,00,000 8,00,000
(4)	Bank A/c To Share Allotment A/c (Being allotment money received except on 600 shares)	Dr.	11,82,000	11,82,000
(5)	Share Capital A/c Securities Premium Reserve A/c To Share Allotment A/c To Share Forfeiture A/c (Being 600 shares forfeited)	Dr. Dr.	36,000 12,000	18,000 30,000
(6)	Share First Call A/c To Share Capital A/c (Being first call money due)	Dr.	9,85,000	9,85,000
(7)	Bank A/c To Share First Call A/c (Being first call money received except on 800 shares)	Dr.	9,65,000	9,65,000
(8)	Share Second & Final Call A/c To Share Capital A/c (Being final call money due)	Dr.	5,91,000	5,91,000
(9)	Bank A/c To Share Second & Final Call A/c (Being money received except on 800 shares)	Dr.	5,79,000	5,79,000
(10)	Share Capital A/c To Share First Call A/c (800 × 25) To Share Second and Final Call A/c (800 × 15) To Share Forfeiture A/c	Dr.	80,000	20,000 12,000 48,000
(11)	Bank A/c Share Forfeiture A/c To Share Capital A/c (Being 1,200 forfeited shares reissued @ ₹ 85 per share)	Dr. Dr.	1,02,000 18,000	1,20,000
(12)	Share Forfeiture A/c To Capital Reserve A/c (Being gain on reissue of forfeited shares transferred)	Dr.	48,000	48,000

Calculation of Rohit's Advance on Allotment :

Advance on 40,000 shares = ₹ 4,00,000

∴ Advance on 600 shares = ₹ 6,000

Calculation of Shares allotted to Ashmita :

$$= \frac{40,000}{50,000} \times 1,000 = 800 \text{ shares}$$

Calculation of Share Forfeiture to be transferred :

Share forfeiture a/c on 600 shares = ₹ 30,000.

Share forfeiture a/c on 800 shares = ₹ 48,000

Share forfeiture related to 1,200 shares = 600 shares of Rohit + 600 shares of Ashmita

= 30,000 +

$$\left(\frac{600 \times 48,000}{800} \right)$$

= 30,000 + 36,000

= ₹ 66,000

∴ Transferred to share capital = 66,000 - 18,000

= ₹ 48,000